रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072020-220342
CG-DL-E-03072020-220342

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1934] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 02, 2020/आषाढ़ 11, 1942
No. 1934] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 02, 2020/ASADHA 11, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2020

का.आ. 2188(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3859(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 25 अक्तूबर, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर राज्य सरकार में विचार किया गया था;

और, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान उत्तर अक्षांश 13^0 01' से 13^0 29' और पूर्व देशांतर से 75^0 01' से 75^0 25' के बीच स्थित है और 600.57 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है; और राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरू दक्षिण कन्नड और उडुप्पी जिलों के त्रि-जंक्शन में केंद्रीय पश्चिमी घाटों (गोवा और नीलगिरी के बीच का स्थान) के मध्य में स्थित है, यह विश्व के 34 जैव–विविधता हॉट-स्पॉट का एक भाग है और जैविक समृद्धि का संकेत स्थल है;

और, राष्ट्रीय उद्यान कम ऊंचाई वाले आर्द्र सदाबहार वन और शोला-चरागाह बायोम पश्चिमी घाट की पूरी सीमा में सबसे आकर्षक भू-दृश्य है;

और, कुद्रेमुख भू-दृश्य की विस्तृत श्रेणी की ऊंचाई 135 मीटर समुद्र स्तर से उच्च भूमि के 1900 मीटर समुद्र स्तर तक निरूपित है और तदनुसार वनस्पति और परिचर जीवजंतु की एक विस्तृत श्रृंखला है और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख वन प्रकार (चैंपियन और सेठ 1968) को दक्षिणी पहाड़ी के शीर्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों (1ए/सी3) (शोला), उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन (1ए/सी4), पश्चिम तटीय अर्ध- सदाबहार वन (2ए/सी2), दक्षिण भारतीय आर्द्र पर्णपाती वन (3बी/सी2) और दक्षिण भारतीय उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी सवाना (8ए(सी1/डी एस) में वर्गीकृत किया गया है;

और, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के वनस्पति मूल्य के अतिरिक्त कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के जीवजन्तु मूल्य का विशेष महत्व है, कुद्रेमुख भारत और विश्व में लघु पूंछ वानर (कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की फलेगशिप प्रजाति) का एक बड़ी जीवसंख्या के लिए बड़ा केंद्र/आवास बना हुआ है; राष्ट्रीय उद्यान, विश्व के सबसे लंबे विषैले सांप किंग कोबरा का भी वास है और मालाबार तवांगु कुद्रेमुख का स्थानिक दुर्लभ नर-वानर है; यह राष्ट्रीय उद्यान आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रतिनिधित्व करता है इसमें मुख्य तीन मांसाहारी जैसे- बाघ,तेंदुआ और जंगली कुत्ते पाए जाते हैं; कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जीवजंतु समूह जैसे- सरीसृप, उभयचर और मछलियों के लिए उच्च स्तरीय स्थानिकता रखता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाये जाने वाली अन्य प्रजातियों में एशियाई हाथी, भारतीय गौर, सांभर हिरण, मुंजक/मुनतजक, चित्तीदार हिरण, पिसूरी, रीछ, धारीदार लकड़बग्घा, कस्तूरी-मृग, जंगली सुअर, हंनुमान लंगूर, बोनट मकाक, मालाबार विशाल गिलहरी, मोर, पायथन और मालाबार सीविट, आदि सम्मिलित है; कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र केंद्रीय पश्चिमी घाट में ऑर्किड के लिए गर्म स्थान में सबसे गर्म स्थान के रुप में जाना जाता है;

और, इसके सभी मूल्यों में से, कुद्रेमुख का पारिस्थितिक तंत्र सेवा मूल्य बहुत महत्व का है; कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तुंगा, भाद्रा और नेथरावाथी जैसी मुख्य नदियों के लिए मुख्य स्त्रोत और जलग्रहण भी है और स्वर्णा, गुरुपुरा, येन्नेहोले और सीथानाधी जैसी अन्य छोटी नदियों के लिए जल ग्रहण साधन है जो स्थानीय लोगों के लिए एकमात्र साधन है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है; कुद्रेमुख दक्षिण भारत में एक उच्चतम वर्षा वृष्टि (प्रति वर्ष 7000 मि. मी. औसत) वाला स्थान है; इसके अतिरिक्त, कुद्रेमुख के आर्द्र सदाबहार शोला वन एक स्पंज की तरह कार्य करते हैं, इस प्रकार पानी की भारी मात्रा भूमिगत रिजर्व के रुप में रहती है जो कि साल भर में धीरे-धीरे नदियों में जाती है और भौगोलिक दृष्टि से, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र (दक्षिण पश्चिम मानसून सहायता से) क्षेत्रीय जलवायु पर एक विशाल और स्थायी प्रभाव रखती है; इसके अलावा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान उच्चतम स्थायी बायोमास में से एक है जिसे प्रति हेक्टेयर 250-300 टन औसत का अनुमान लगाया जाता है और इसलिए यह एक बृहत् कार्बन सिंक है जो भूमंडलीय तापन का प्रतिकारक है और जलवायु परिवर्तन के तथ्य के रुप में कार्य करता है;

और, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान से मुख्य वनस्पति प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं जिसमें *कैलोफल्लुम एपेटालम* (होली होन्ने), *सिन्नामोमुम सल्फोराटम* (दालचीनी), *डायोस्पायरोस कैंडोल्लेना* (कारी मारा), *होपिया कैनेरेनिसिस* (मलाई नाइगा), *होपिया परविफ्लोरा* (किराल बोगी), *होपिया पोंगा* (डोड्डेले बोगी), *वन्दा स्पथुलता* (आर्किड), *गार्सिनिया इंडिका* (कोकुम), *हायडेनोकार्पस पेंटेंड्रा* (चलमोगरा येन्ना मारा, मिरोलहाकाई, दुरती),*कनेमा अट्टेनुआते* (रक्तामारा), आदि शामिल है;

और, प्रकृति और प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) के अनुसार, कुछ प्रजातियां जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय, असुरक्षित, संकटापन्न की श्रेणी में आती हैं, वे कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाते हैं जिसमें स्तनधारियों जैसे *पैंथेरा टाइगरिस* (बाघ), *पेन्थेरा प्रज्यूस* (सामान्य तेंदुआ), *परिओनाइलुरूस रुबिगिनोसुस* (रूस्टी चित्तीदार बिल्ली), *विवेर्रा सिवेट्टीना* (मालाबार सीवेट), *मेलर्सस अरसिनस* (रिछ), *एलेफ़स मैक्सिमस* (एशियाई हाथी), बोस गोरस (गौर), *सरवस यूनीक्लोर* (सांभर), *पेटिनॉयस उसककापिल्लुस* (छोटा तरवनकोर सूरज-भगत), रतुफा इंडिका (भारतीय विशाल गिलहरी), *मानिस क्रैसिकाउडाटा* (भारतीय साल), *प्लाटसान्थोमि लसियरस* (मालाबार स्पिनी डॉर्माउस), *लुतरा लुतरा* (सामान्य ओटर), *एनोक्सी किनेरेया* (क्लॉ लेस्स ऊदबिलाव), आदि शामिल हैं;

और, राष्ट्रीय उद्यान में महत्त्वपूर्ण पक्षी, सरीसृप, उभयचर और तितलियां पाई जाती हैं जिसमें *एन्थ्राकोसेरोस कोरोन्नाटस* (मालाबार चितकबरी धनेश), *बुकेरोस बिकोर्निस* (ग्रेट हॉर्नबिल), *इचिथियोफागा इचिथायेटस* (ग्रे हेडेड फिश ईगल), *अंहींगा मेलानोगास्टेस* (डार्टर), *किकोनिया इपिस्कोपस* (वोल्लय–नक्केड स्ट्रोक), *फिकेडुला निगरोरूफा* (ब्लैक और ऑरेंज फ्लाईकैचर), *इयत्थिअस अल्बिकाउडाटा* (नीलगिरि फ्लाई कैचर), *इनडोटेस्तुडो फोरेस्टेनी* (टोरटोइस), *गेओचेलोना इलेगांस* (इंडियन फ्लैप शैल टर्टल), *क्रॉकोडैलुस पालुस्ट्रीस* (क्रॉकोडिल्स), *नाजा नाजा* (स्पेक्टैलेड कोबरा),

ओफिओफागस हन्नाह (किंग कोबरा), *अंसोनिया ओर्नाटा* (मालाबार टोर्रेंट टोड), *बुफो बेडुोमि* (बेडुोमि टोड), *रामानेल्ला मोनताना* (जेरडोन नेर्रोव-मोउथेड फ्रॉग), *इंनडिराना लेइथि* (लेइथस लैपिंग फ्रॉग और मैथरेन इंडियन फ्रॉग), *लिम्नोनेकटेस लिमोचालरस* (इंडियन क्रिकेट फ्रॉग), *मिकरीक्लुस सेक्सिकोलुस* (मालाबार टरोपिकल फ्रॉग), *नीकटीबतराचुस डेक्सानेसिस* (डेक्कन नाइट फ्रॉग, डेक्कन वरिंकलेड फ्रॉग), *नीकटीबतराचुस मजोर* (मालाबार नाइट फ्रॉग), नीकटीबतराचुस संकटी पालुस्ट्रीस (कूर्ग नाईट फ्रॉग और सेक्रेड स्वाम्प ब्रिंकलेड़ राना औरांटिआका (त्रिवेंद्रम फ्रॉग, सामान्य वूड फ्रॉग), *राना टेम्पोरालिस* (ब्रोंज़ेड फ्रॉग और गुंथर गोल्डन-बैकेड फ्रॉग) *टोमोप्टेमा रूफेस्केंस* (रूफेस्केस बुरोइंग फ्रॉग), *आईडिया मालबरिका* (मालाबार ट्री निम्फ), आदि शामिल हैं;

और, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरू दक्षिण कन्नड और उडुप्पी जिला के कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 9.60 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) *(सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के समीपवर्ती होने के कारण* कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान *के उत्तरी भाग में पारिस्थितिकी संवेदी का शून्य विस्तार है)* से 9.60 किलोमीटर है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 316.63 वर्ग किलोमीटर है।

(2) कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग, उपाबंध-IIघ** और **उपाबंध-IIङ** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों, संलग्न ग्रामों और रिज़र्व वन के क्षेत्र की सूची **उपाबंध IV** के सारणी **क,** सारणी **ख और** सारणी **ग** में दी गई है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) शहरी विकास;
(iv) पर्यटन;
(v) नगर पालिका;
(vi) राजस्व;
(vii) कृषि;
(viii) ग्रामीण विकास
(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(x) पंचायती राज;
(xi) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों की पुनः बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले अनुसमर्थित मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक

पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक की जाएगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए महायोजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा-संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में पहचाने गए प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाधान निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और उस पर किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में

		आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे।
9.	पवन चक्कियां लगाना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
आ. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा-लागू

		मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक उपयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
17.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित ।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और

		अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
25.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
29.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
31.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
32.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
33.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
34.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

India Code

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का संघटक**	**पदनाम**
(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर	अध्यक्ष,पदेन;
(ii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, चिकमंगलूरु	सदस्य;
(viii)	उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, उडुपी	सदस्य;
(ix)	उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, दक्षिण कन्नड़	सदस्य;
(x)	मुदिगेरे निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य	सदस्य; *
(xi)	करकला निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य	सदस्य; *
(xii)	बेलथानगडे निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य;	सदस्य; *
(xiii)	श्रीनगेरी निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य	सदस्य; *
(xiv)	उप वन संरक्षक, कुद्रेमुख वन्यजीव प्रभाग, करकला	सदस्य- सचिव।

* (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कर्नाटक राज्य सरकार अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन, जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा के सभापति की अनुज्ञा भी है, यदि अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करेगी) ।

6. निर्देश निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और तत्पश्चात् मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

IndiaCode

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध-V** में संलग्न प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. उच्चतम न्यायालय के आदेश- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. अतिरिक्त उपाय - इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/147/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:-	कुद्रेमुख पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा मुदराही ग्राम के बच्चाप्पु से आरंभ होकर और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर जाती है और कपोली के निकट कौपली धारा प्रवाह जुड़ती है। इसके अतिरिक्त, यह कौपली धारा प्रवाह के साथ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और सोमेश्वर रिज़र्व वन सीमा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पुन: दक्षिण पूर्व की ओर सोमेश्वर रिज़र्व वन सीमा के साथ जाती है और पुन: दुर्गा में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान सीमा रेखा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त, यह दक्षिण में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के साथ मुड़ती है और इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में जाती है यह नरसिम्हा पर्वत राज्य वन के उत्तरी टीप तक पहुंचती है। इसके बाद यह कोटे के निकट चोटी बिंदु 767 से जुड़ती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा रेखा के साथ मिलती है।
पूर्व:-	इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा दक्षिण पूर्वी दिशा में हसानाबलू ग्राम में नरसिम्हा पर्वत राज्य वन के 1 किलोमीटर के समानांतर रेखा के साथ जाती है और यह बैलूबरू धारा प्रवाह को काट कर हसानाबलू के निकट चोटी बिंदु 741 पहुंचती है और इसके बाद हसानाबलू में हसानाबलू कीग्गा सड़क पार करके कटती है। और हाराहरी धारा प्रवाह के निकट मासागी ग्राम सीमा को काटती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर मासागी ग्राम में नरसिम्हा पर्वत राज्य वन के 1 किलोमीटर के समानांतर रेखा के साथ जाती है और मालाधी धारा प्रवाह के निकट मिग्गा ग्राम सीमा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा दक्षिण की ओर मिग्गा ग्राम में नरसिम्हा पर्वत राज्य वन के 1 किलोमीटर समानांतर रेखा के साथ जाती है और मालाधी धारा प्रवाह को काटती है और

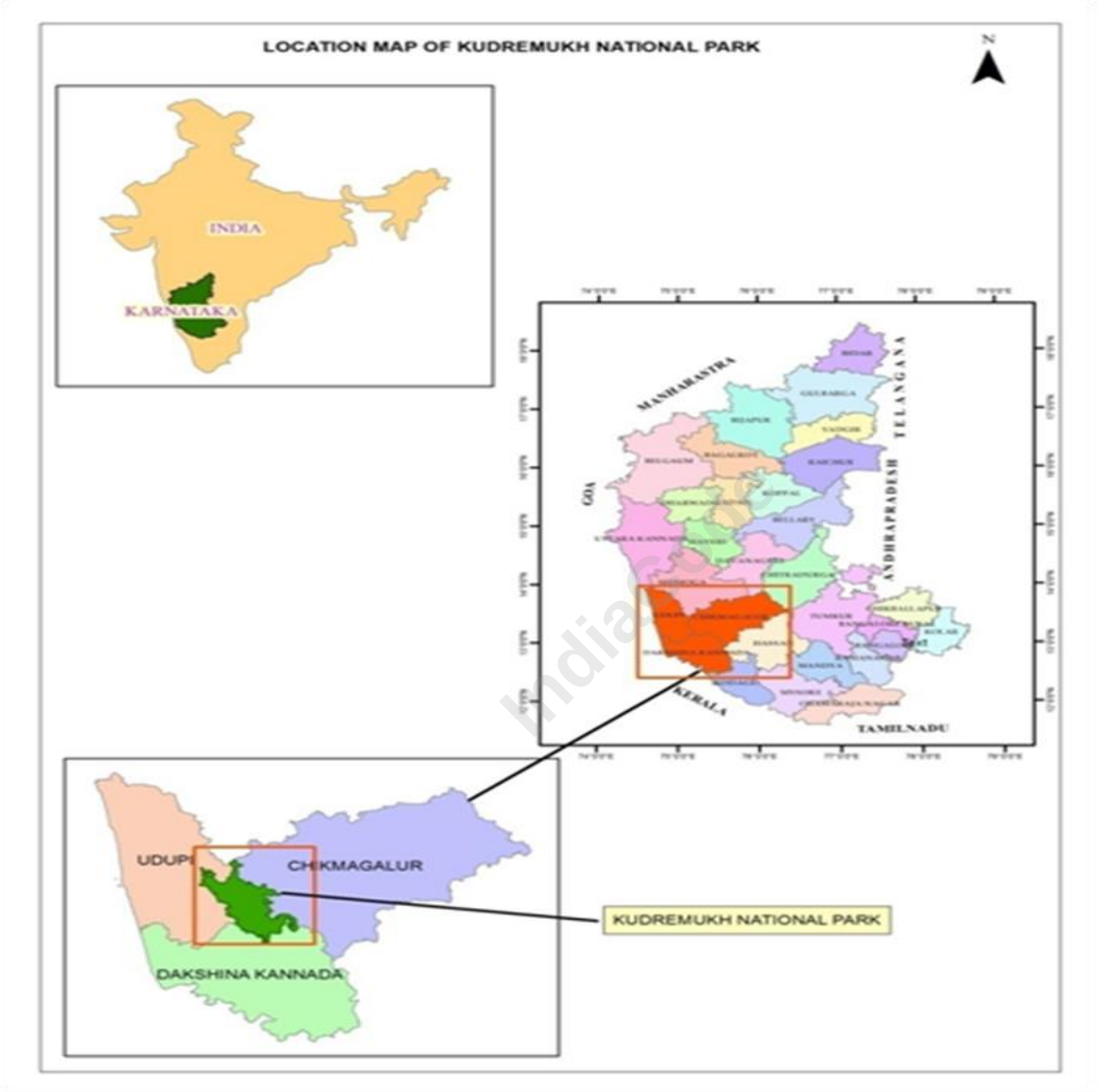
IndiaCode

	इसके अतिरिक्त यह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है और हसानाबलू कीग्गा सड़क और मालाथी धारा प्रवाह के त्रि-जंक्शन के निकट मरकल ग्राम सीमा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा मरकल ग्राम में नरसिम्हा पर्वत राज्य वन के समानांतर रेखा 1 किलोमीटर के साथ जाती है और दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर और मगोदु धारा प्रवाह से कटती है। इसके अतिरिक्त धारा प्रवाह के साथ पूर्व की ओर मुड़कर और इसके बाद कीग्गा के निकट चोटी बिंदु 862 के निकट होते हुए दक्षिण में जाती है और हूलगरबली के निकट यादाली ग्राम सीमा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा दक्षिण की ओर हूलगरबैल ग्राम में नरसिम्हा पर्वत राज्य वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और नलिनी धारा प्रवाह से कटकर और इसके बाद यह पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर और सुनकदामक्की के निकट थुंगा नदी से कटकर और मरूवीनाकोम्बे के निकट नेम्मर ग्राम सीमा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा दक्षिण पूर्वी और दक्षिण दिशा की ओर नेम्मर ग्राम में थुंगाबद्रा राज्य वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और हंडलमन के निकट 821 की चोटी बिंदु से होते हुए जाती है और हंडलमन में सड़क से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त यह सड़क के साथ दक्षिण की ओर मुडकर और हेरूरू ग्राम सीमा से जुड़ती है इसके अतिरिक्त यह बुक्थीबैलु के निकट चोटी बिंदु 799 से सीधे मिलती है और इसके बाद बुक्थीबैलु और वलाले सड़क में बुक्थीबेलू के निकट चोटी बिंदु 641 से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त रेखा वलाले के दक्षिण पूर्वी की ओर सड़क के साथ आडे-तिरछे ढंग में जाती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा हेरूर ग्राम में थुंगाबद्रा राज्य वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और पूट्टागोदू ग्राम सीमा पहुंचती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा चोटी बिंदु 1044 की श्रेणी के साथ मुड़ती है और हगलगंगी के निकट श्रीनगेरी तालुक सीमा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त यह तालुक सीमा और चोटी बिंदु 943 के उत्तर पूर्व धारा प्रवाह के साथ मुड़कर यह हारालवनी ग्राम के हारासीने के निकट सड़क से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त रेखा गोलुगोदु धारा प्रवाह हारालवाई ग्राम में दक्षिण पूर्वी की ओर सड़क के साथ जाती है और मेगुरू ग्राम सीमा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा मेगुरू ग्राम में थुंगाबद्रा राज्य वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और भाईरादेवारू ग्राम सीमा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा बलेकोदीगे के निकट बलेकोदीगे अट्टीकोदीगे सड़क के भाईरादेवारू ग्राम में थुंगाबद्रा राज्य वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है इसके अतिरिक्त रेखा बीललकोप्पा डिस्पेंशरी के सड़क के साथ आड़े-तिरछे जाती है और अट्टीकोदीगे ग्राम सीमा से जुड़ती है । इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा अट्टीकोदीगे ग्राम में थुंगाबद्रा राज्य वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और कोबनहल्ली कॉफी एस्टेट सड़क से जुड़ती है। इसके अतिरिकत् यह कोवनहल्ला कॉफी एस्टेट की सीमा के साथ सड़क के साथ पूर्व और दक्षिण की ओर मुड़ती है इसके अतिरिक्त यह चोटी बिंदु 1406 और 1207 के नीचे वन ग्राम सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम में मुड़कर और होरांदू धारा प्रवाह से जुड़ती है । इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा होरांदू, मवीनाकेरे, कलकोदू ग्रामों में पश्चिम और दक्षिण की ओर थुंगाबद्रा राज्य वन सीमा के समानांतर जाती है और यह भद्रा नदी से मिलती है जो कलकोदू और समसे ग्राम को अलग करती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा कतनीपल हम्लेट को पार करके, समझे होले और राज्य राजमार्ग सं.66 को पार करके, होसानाला कॉफी एस्टेट को पार करके दक्षिण पूर्वी की ओर समसे ग्राम में दक्षिण भद्रा राज्य वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और समसे ग्राम में समसे चाय एस्टेट के अंतर्गत कार्ट सड़क पहुंचती है और इसके बाद कालसा ग्राम सीमा पहुंचती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा होरेमक्की, अग्गालगुद्दा को पार करके पूर्वी की ओर कालसा और मारासनीगे ग्राम में नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और बल्गी ग्राम पहुंचती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा मल्तीखान कॉफी एस्टेट, हुलीखान कॉफी एस्टेट पार करके बल्गी ग्राम में नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और हुलीखान कॉफी एस्टेट के अंतर्गत कार्ट सड़क पहुंचती है और दुर्गादल्ली ग्राम सीमा पहुंचती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा होरीखान कॉफी एस्टेट मजदूरी रेखा को पार करके दुर्गादाहल्ली ग्राम में नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और बलूर राज्य वन को छूती है।
दक्षिण:-	इसके बाद रेखा पूर्व की ओर बलूर राज्य वन सीमा के साथ आड़े-तिरछे जाती है और चारमड़ी सड़क से मिलती है और इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर चारमड़ी घाट सड़क के साथ मुड़कर और नड़ूमने के निकट चारमड़ी कानापडी रिज़र्व वन सीमा के साथ मिलती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तर, दक्षिण पश्चिम की ओर

	चारमड़ी कानापड़ी रिज़र्व वन के साथ मुड़कर और उत्तरी ओर मुड़ती है यह अल्लांदादका में बंदजे धारा प्रवाह पहुंचती है। इसके अतिरिक्त यह धारा प्रवाह के साथ मुड़कर और होसाबेट्टु के निकट बंदजे मालावाथीगे सड़क पहुंचती है। इसके बाद यह सड़क और उप धारा प्रवाह के साथ उत्तर की ओर मुड़ती है और केलपुर में मीठा बागीलु और बनगेड़ी पेटे सड़क के त्रि-जंक्शन पहुंचती है। इसके अतिरिक्त यह बनगेड़ी पेटे के सड़क के साथ दक्षिण की ओर मुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा, दक्षिण की ओर नादाबेट्टु ग्राम में नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और इंदाबेट्टु मुरा सड़क से जुड़कर और मुरा में सुरलोदी परानादका सड़क के त्रि-जंक्शन पहुंचती है और इसके अतिरिक्त यह उत्तर पश्चिम की ओर सड़क के साथ मुड़ती है और इदियालगुड्डा के निकट धारा प्रवाह पहुंचती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा मनजोली के निकट धारा प्रवाह के त्रि-जंक्शन के येरूमल्ले होले के साथ नवुर ग्राम में नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है । इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा लेलाग्राम के बेलमवीगुद्दा की रूपरेखा के नदाग्राम में नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा लेला मेलानथबेट्टु ग्राम और सावानालू ग्राम में उत्तर पश्चिमी की ओर नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और कलेबेट्टु के निकट सावानालु धारा प्रवाह को पार करके और कर्मबर ग्राम सीमा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा कर्मबर ग्राम में उत्तर पश्चिमी की ओर नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और गोपाल-कृष्णा मंदिर के निकट कर्मबर धारा प्रवाह को पार करके जाती है और शीरलाल ग्राम से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा शीरलाल, सूलकेरीमोगरू, नावारा ग्राम में उत्तर पश्चिम की ओर नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और कुदीगेहल्ल के निकट करकाला –बेलधानगदी सड़क पहुंचती है। इसके अतिरिक्त यह कुथलूरू धारा प्रवाह के सड़क के साथ उत्तर पश्चिम की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त यह धारा प्रवाह के साथ मुडकर और कुथलूरू ग्राम में कुथलूरू कल्लाजे सड़क पहुंचती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा कुथलूरू और नारावी ग्रामों में उत्तर पश्चिम की ओर नारावी के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और नारावी के निकट गुंदी धारा प्रवाह को पार करके और इडु ग्राम सीमा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा इडू और नूरालबेट्टू ग्रामों में उत्तर पश्चिम की ओर नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और हूराबे रिज़र्व वन से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त यह हूराबे रिज़र्व वन सीमा के साथ मुड़क और पुन: नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ नूरलबेट्टु ग्राम सीमा से जुड़ती है और कोल्लाबेट्टु धारा प्रवाह में माला ग्राम सीमा पहुंचती है।
पश्चिम:-	इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा माला ग्राम में उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की ओर नारावी रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और मुल्लूर के निकट एन.एच. 169 से जुड़ती है और इसके बाद कोदाबेट्टु केरवशे सड़क के साथ हेक्कुंजेहल्ला को पार करके केरवशे ग्राम से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त रेखा केरवशे गुड्डेयानगडी सड़क के साथ मुड़ती है और गुड्डेयानगडी में शीरलाल से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त यह अंदर ग्राम के अजेकर-कदूहोले सड़क जंक्शन के शीरलाल सड़क के साथ उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा अंदर और मरने ग्रामों में पश्चिम और उत्तर की ओर अंदर रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और कदूहोले धारा प्रवाह को पार करके वरांगा ग्राम सीमा से जुड़ती है इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा वारांगागुइज के नीचे पश्चिम की ओर वरांगा ग्राम में अंदतर रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और बल्लादी के निकट मूदरादी ग्राम सीमा से जुड़ती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा मुदरादी ग्राम में अंदर रिज़र्व वन के समानांतर रेखा के 1 किलोमीटर के साथ जाती है और केलाकीलाहल्ला को पार करके और मुदरादी बच्याप्पु मुख्य सड़क से जुड़ती है और इसके बाद सड़क बच्याप्पु से जुड़ती है । पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के साथ जाती है।

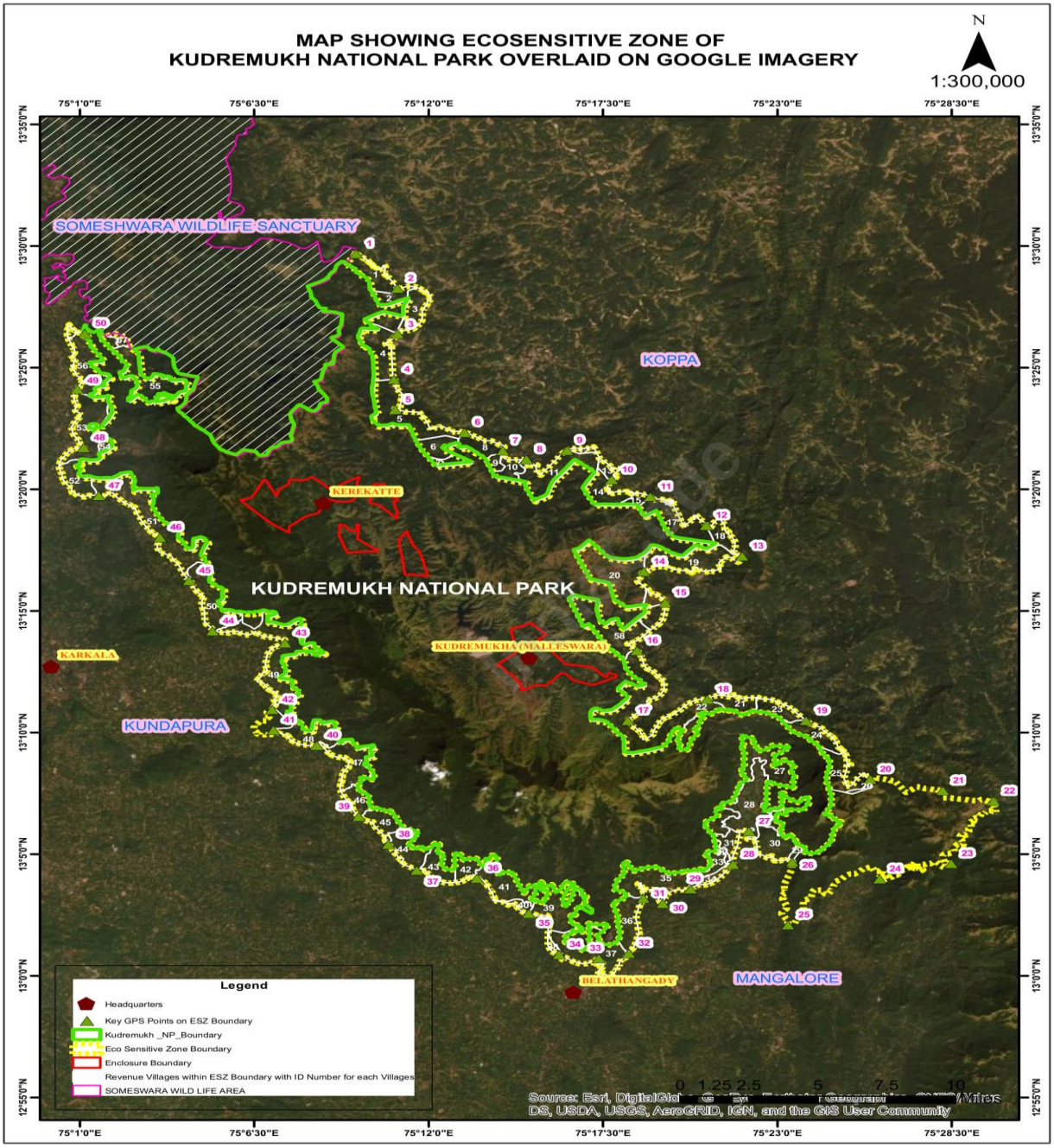
उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र



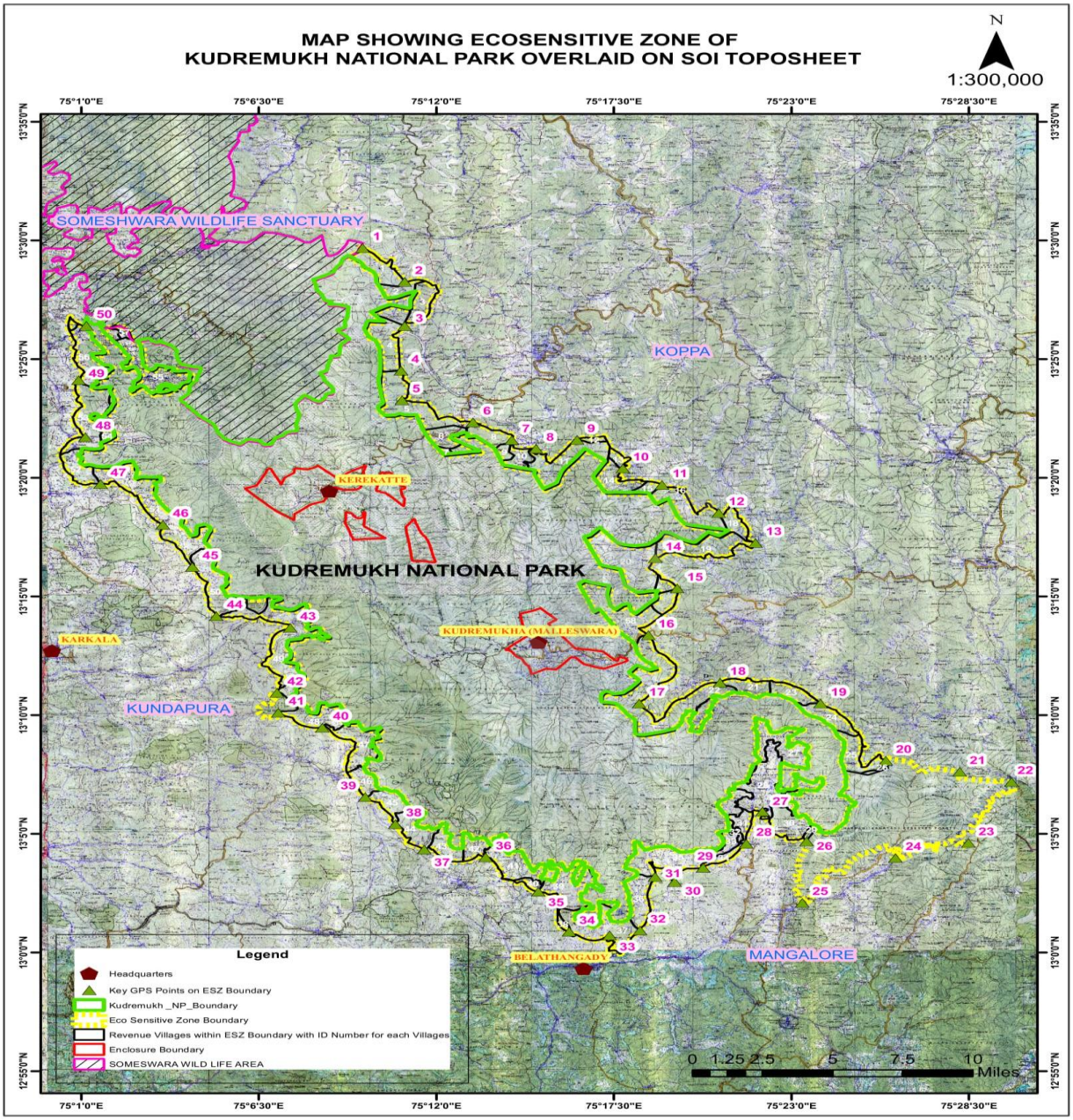
उपाबंध-IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



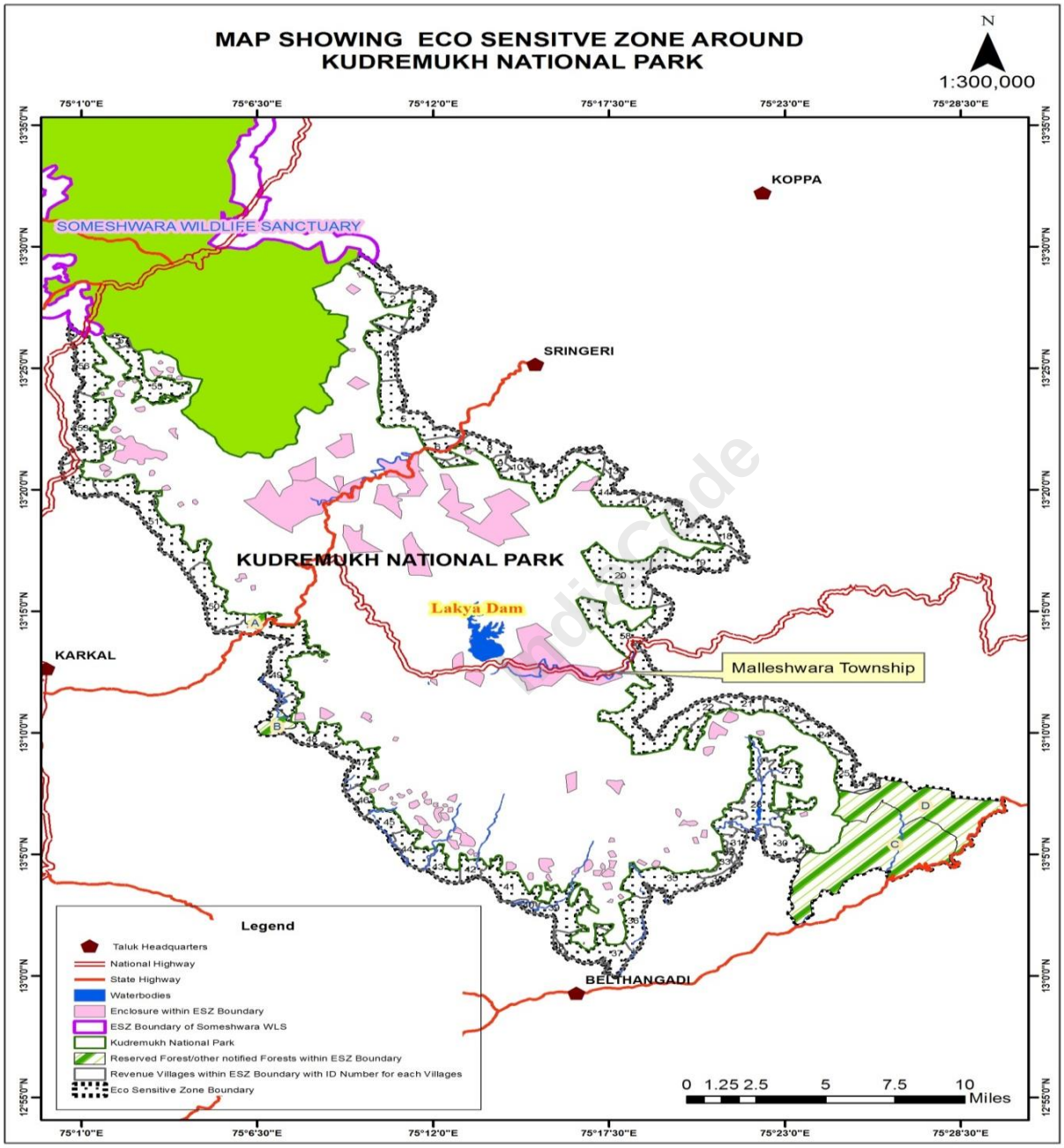
उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



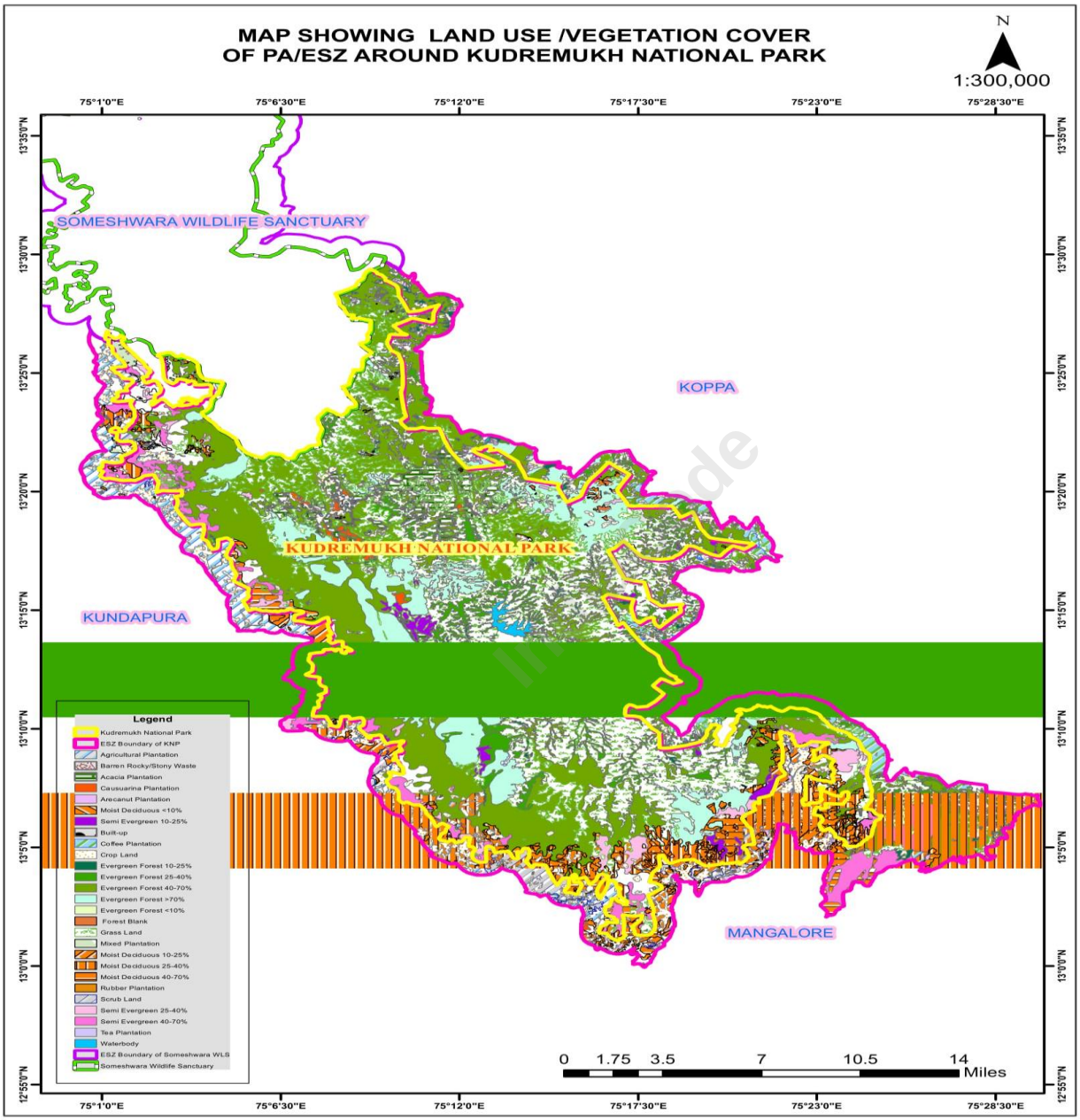
उपाबंध-IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध -IIङ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
0	75	9	17.57	13	29	19.39
1	75	11	23.53	13	27	46.48
2	75	10	24.07	13	26	32.68
3	75	10	25.10	13	23	5.67
4	75	11	43.54	13	21	43.23
5	75	13	21.44	13	21	4.42
6	75	15	5.21	13	20	16.35
7	75	16	39.76	13	21	8.87
8	75	18	51.62	13	18	50.94
9	75	21	6.79	13	17	42.97
10	75	17	6.91	13	17	49.82
11	75	18	52.57	13	15	11.79
12	75	16	36.16	13	15	36.20
13	75	18	52.69	13	11	55.47
14	75	17	11.04	13	10	30.81
15	75	19	23.25	13	9	17.12
16	75	20	0.92	13	10	7.24
17	75	24	30.61	13	6	39.13
18	75	23	51.12	13	7	17.53
19	75	22	36.21	13	6	46.54
20	75	22	43.19	13	8	3.67
21	75	23	22.20	13	9	25.92
22	75	21	53.19	13	9	54.13
23	75	21	5.56	13	5	7.67
24	75	18	7.22	13	4	39.82
25	75	17	36.56	13	2	8.35
26	75	16	49.30	13	1	48.88
27	75	16	17.71	13	2	50.85
28	75	15	15.74	13	3	7.00
29	75	12	47.52	13	4	25.59
30	75	11	14.59	13	5	53.68
31	75	10	16.03	13	6	53.38
32	75	10	18.93	13	9	26.15
33	75	9	2.86	13	10	23.61
34	75	7	34.57	13	10	48.17
35	75	7	18.12	13	12	10.90
36	75	8	44.53	13	13	12.71
37	75	7	58.91	13	14	38.15
38	75	7	13.63	13	14	55.06
39	75	5	33.04	13	14	55.27
40	75	4	36.09	13	17	32.02

MahaCode

41	75	3	46.42	13	20	4.52
42	75	1	0.74	13	20	33.63
43	75	1	16.86	13	22	30.78
44	75	1	20.07	13	23	47.89
45	75	1	23.27	13	25	7.85
46	75	1	12.54	13	26	41.30
47	75	2	42.94	13	24	37.58
48	75	2	36.00	13	23	34.01
49	75	4	21.48	13	24	24.53
50	75	4	45.50	13	24	33.93
51	75	6	1.66	13	21	18.02
52	75	7	59.87	13	23	24.96
53	75	8	58.83	13	26	11.56

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	75	9	42.98	13	29	41.79
2	75	11	1.11	13	28	15.93
3	75	11	1.31	13	26	24.78
4	75	10	54.51	13	24	31.48
5	75	10	56.28	13	23	16.75
6	75	13	7.78	13	22	20.65
7	75	14	19.63	13	21	35.50
8	75	15	4.95	13	21	14.30
9	75	16	21.19	13	21	36.95
10	75	17	46.53	13	20	24.46
11	75	18	59.47	13	19	42.00
12	75	20	44.37	13	18	31.59
13	75	21	53.07	13	17	15.86
14	75	18	46.82	13	16	37.09
15	75	19	27.06	13	15	21.13
16	75	18	33.65	13	13	22.42
17	75	18	16.29	13	10	29.52
18	75	20	46.95	13	11	22.66
19	75	23	53.96	13	10	30.17
20	75	25	54.98	13	8	5.59
21	75	28	12.68	13	7	37.12
22	75	29	48.71	13	7	12.03
23	75	28	28.95	13	4	36.97
24	75	26	13.12	13	3	59.11
25	75	23	20.09	13	2	5.77
26	75	23	27.83	13	4	40.95
27	75	22	5.75	13	5	56.68
28	75	21	35.62	13	4	35.67
29	75	20	15.91	13	3	35.09

InfiaCode

30	75	19	22.52	13	2	58.72
31	75	18	46.24	13	3	11.39
32	75	18	18.08	13	0	56.48
33	75	17	21.17	13	0	43.79
34	75	16	6.68	13	0	52.48
35	75	15	8.86	13	2	33.82
36	75	13	31.27	13	4	0.68
37	75	11	36.97	13	4	20.88
38	75	10	44.02	13	5	24.70
39	75	9	48.10	13	6	33.38
40	75	8	28.31	13	9	29.41
41	75	7	6.08	13	10	7.23
42	75	7	3.50	13	10	57.30
43	75	7	27.94	13	13	41.74
44	75	5	11.03	13	14	10.89
45	75	4	26.27	13	16	15.17
46	75	3	31.27	13	18	1.90
47	75	1	35.03	13	19	45.22
48	75	1	7.09	13	21	43.48
49	75	0	54.82	13	24	8.20
50	75	1	8.84	13	26	25.33

उपाबंध-IV

सारणी क: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भाग को बनाने वाली कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान सीमा के अंतर्गत स्थित राजस्व बाडों की सूची

क्र.सं.	बाडे का नाम	ग्राम	तालुक का नाम	जिला का नाम
01	कोलनथजे	नारावी	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
02	मपाला -मिथिलु	नारावी	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
03	मलिनापिथिलु	नारावी	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
04	मुन्नाडका	नारावी	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
05	केलागिनापिथिलु	नारावी	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
06	मुडाडी	नारावी	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
07	बरथाजे	कुटलुर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
08	कोट्टांडाडका	कुटलुर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
09	मनिला-अंजारोट्टु	कुटलुर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
10	इरडाडी	कुटलुर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
11	पनजाला	कुटलुर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
12	ओंजारेडड्डि	कुटलुर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
13	कुरिअडी- बरांगाडी	कुटलुर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
14	पेरिनचा	कुटलुर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड

IndiaCode

15	नांगाजे	कुटलुर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
16	अलाम्बा	कुटलुर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
17	नेल्लीथाडका-मडिके	कुटलुर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
18	अम्बिला	नावारा	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
19	केडेलु	नावारा	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
20	मलिगे	सुलकेरीमोगरू	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
21	पंजाला	सुलकेरीमोगरू	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
22	निरकुला	सुलकेरीमोगरू	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
23	हेंदेलु	शिरलालु	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
24	मालेक्किला	शिरलालु	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
25	पेलाहिथ्थिलु-कुडुकोली	सवानाल	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
26	पिलिथाजे	सवानाल	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
27	कुंटिला	सवानाल	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
28	केडिलाडका	सवानाल	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
29	मंजाला	लइला	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
30	पंचार	नादा	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
31	इरमेले	नादा	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
32	अलया	नवूर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
33	मुथाजे	नवूर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
34	कालागिनाराबे	नवूर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
35	मेलिनाराबे	नवूर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
36	बेल्ला	नवूर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
37	गोल्थारा	नवूर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
38	माल्ला	नवूर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
39	मालेजोडय	नवूर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
40	कोडांगे	नवूर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
41	कसारावाल्ली	नवूर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
42	पेरमानु	नवूर	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
43	कुडकोली	मालावांतिगे	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
44	पथालिके	मालावांतिगे	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
45	सुरूली	मालावांतिगे	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
46	बोल्ले	मालावांतिगे	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
47	बनगारूबालिगा	मालावांतिगे	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
48	इल्नैर	मालावांतिगे	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
49	बडामाने	मालावांतिगे	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड

IndiaCode

50	अदयाथोडी	मालावांतिगे	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
51	मुनडाला	मालावांतिगे	बेलथानगडे	दक्षिण कन्नड
52	मनडाला(शैरलु)	शिरलु	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
53	गुरीगा	शिरलु	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
54	यादगरू	गुलगुंजीमाने	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
55	मथोल्ली	गुलगुंजीमाने	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
56	सुंकाडामाक्की	सुंकादामाक्की	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
57	याम्मेगुंडी	हदी	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
58	बैमन सरालु	मेगुर	कोप्पा	चिकमंगलुरू
59	गोलगुंडी	अट्टी कोडीगे	कोप्पा	चिकमंगलुरू
60	असना बालु	हसाना बालु	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
61	थरोल्ली	के.मासिगे	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
62	किथलेमन कोडीगे	किग्गा	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
63	नरासिम्हा डेवरू	किग्गा	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
64	बाले कडी	बेलाकाडी	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
65	कोगोडुमाने	किग्गा	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
66	अजरथ	गुलगुंजीमाने	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
67	हम्मिज	हदीकेरूर	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
68	करूचरू	केरे	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
69	मुडुभा	मुदुबा	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
70	एस.के बोरडर	केरे	श्रीनगेरी	चिकमंगलुरू
71	माल्लेश्वरा	समसे	मुदीगेरे	चिकमंगलुरू
72	लकया	समसे	मुदीगेरे	चिकमंगलुरू
73	भगवथी	समसे	मुदीगेरे	चिकमंगलुरू
74	बिलिगाल	समसे	मुदीगेरे	चिकमंगलुरू
75	सिंगसार	समसे	मुदीगेरे	चिकमंगलुरू
76	चितिगाल	समसे	मुदीगेरे	चिकमंगलुरू
77	थोलाली	समसे	मुदीगेरे	चिकमंगलुरू
78	कुचिगेरी	समसे	मुदीगेरे	चिकमंगलुरू
79	करले	समसे	मुदीगेरे	चिकमंगलुरू
80	हलासिंगावारे	समसे	मुदीगेरे	चिकमंगलुरू
81	कुद्रेमुख पीक	समसे	मुदीगेरे	चिकमंगलुरू
82	अदका-मुंदानी (सन्नादारकसु)	वारांगा	करकाला	उडुप्पी
83	पेरला	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी

IndiaCode

84	पेरिकाल्लु	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी
85	मुल्लांतु	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी
86	बैराबेट्टु	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी
87	मुंडनी	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी
88	मुतलाडका	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी
89	केसरनी	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी
90	तन्नीराबाइलु (माताउ)	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी
91	होन्नाकोप्पाला	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी
92	संचारिमाला	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी
93	नरपाल	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी
94	पोन्नाने (मुंडीलघाट)	कब्बीनाले	करकाला	उडुप्पी
95	मुतलुपाड्य	अंदर	करकाला	उडुप्पी
96	बोलिंजे-I	अंदर	करकाला	उडुप्पी
97	बोलिंजे-II	अंदर	करकाला	उडुप्पी
98	मोरांटेबाइलु	अंदर	करकाला	उडुप्पी
99	कोन्डाडी	अंदर	करकाला	उडुप्पी
100	कोल्लाराबाइलु	अंदर	करकाला	उडुप्पी
101	नेरसेबाइलु	अंदर	करकाला	उडुप्पी
102	नडवालु	केरवाशे	करकाला	उडुप्पी
103	बेरकाला	केरवाशे	करकाला	उडुप्पी
104	बिज्जाल	माला	करकाला	उडुप्पी
105	गुंडी	लदु	करकाला	उडुप्पी
106	मपाला	नुरालबेट्टु	करकाला	उडुप्पी
107	पेलाटाजे	नुरालबेट्टु	करकाला	उडुप्पी
108	कंयाल	नुरालबेट्टु	करकाला	उडुप्पी

सारणी ख: भू-निर्देशांकों के साथ कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	जिला	तालुक	क्षेत्र हेक्टेयर	अक्षांश	देशांतर
1	हसनबलू	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	372.98	13.4806162	75.1702869
2	मसागी	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	368.12	13.4576696	75.1799051
3	मिग्गा	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	330.64	13.4569556	75.1924606
4	मरकल्लु/ रिशाश्रिंगापुरा	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	509.95	13.4285720	75.1743589
5	मुदरादी	उडुप्पी	करकल	665.59	13.4198151	75.0216594
6	कब्बीनाल	उडुप्पी	करकल	747.33	13.4068817	75.0514608
7	यादाहल्ली	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	834.49	13.3853023	75.1866934

IndiaCode

8	वरांगा	उडुप्पी	करकल	782.16	13.3755923	75.0205032
9	नम्मेर	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	275.80	13.3631210	75.2270108
10	हेग्गारू	चिकमंगलुरू	कोप्पा	93.43	13.3470182	75.2938050
11	कुटगोद	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	49.23	13.3602085	75.2813336
12	अंदर	उडुप्पी	करकल	89.49	13.3570354	75.0339064
13	सुनकादमाक्की	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	272.33	13.3627448	75.2048425
14	हरूरू	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	202.58	13.3468913	75.2426865
15	भइरेदेवारू	चिकमंगलुरू	कोप्पा	10.37	13.3245753	75.3260048
16	मालनदु	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	712.33	13.3451067	75.2661176
17	कराक्की कॉफी एस्टेट	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	46.91	13.3517053	75.2069076
18	नेम्मार कॉफी एस्टेट	चिकमंगलुरू	श्रीनगेरी	162.10	13.3522609	75.2255255
19	मारने	उडुप्पी	करकल	324.57	13.3404455	75.0150504
20	हरालवानी	चिकमंगलुरू	कोप्पा	371.65	13.3317291	75.2927051
21	शिरलाल	उडुप्पी	करकल	1233.52	13.3115853	75.0553537
22	मेगुर	चिकमंगलुरू	कोप्पा	109.47	13.3253491	75.3074405
23	कालगुंडी	चिकमंगलुरू	कोप्पा	634.11	13.3103789	75.3307146
24	अट्टीकोदगी	चिकमंगलुरू	कोप्पा	212.78	13.3015610	75.3540951
25	ना	चिकमंगलुरू	मुदीगेरे	1017.17	13.2744715	75.2982983
26	होरनादु	चिकमंगलुरू	मुदीगेरे	755.42	13.2818411	75.3344117
27	कलगोदु	चिकमंगलुरू	मुदीगेरे	754.25	13.2385941	75.2947954
28	बेरकाला	उडुप्पी	करकल	672.38	13.2586228	75.0858342
29	संवशी	चिकमंगलुरू	मुदीगेरे	1673.42	13.1821117	75.3156762
30	माविनकेर/कालसा	चिकमंगलुरू	मुदीगेरे	428.50	13.2110799	75.3438585
31	माला	उडुप्पी	करकल	1114.86	13.2217118	75.1206018
32	मरासांगी	चिकमंगलुरू	मुदीगेरे	261.33	13.1821740	75.3834246
33	लदु	उडुप्पी	करकल	529.49	13.1463034	75.1597220
34	नुरालबेट्टु	उडुप्पी	करकल	561.78	13.1702982	75.1349663
35	मालावांथिग	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	1419.65	13.1457656	75.3711136
36	नारावी	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	237.72	13.1211333	75.1630751
37	बलगी	चिकमंगलुरू	मुदीगेरे	337.10	13.1651225	75.4027952
38	कुथलुर	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	299.39	13.1053304	75.1763632
39	दुर्गादहाल्ली	चिकमंगलुरू	मुदीगेरे	403.93	13.1388647	75.4168216
40	मुदगुंडी	चिकमंगलुरू	मुदीगेरे	40.57	13.1287820	75.4278564
41	सुलकेरीमोगरू	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	217.55	13.0739938	75.2193580
42	मिथाबागिलु	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	894.45	13.1174161	75.3698903
43	शिरलाल	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	563.77	13.0631273	75.2395287
44	नवुर	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	777.71	13.0649514	75.3183549
45	सवानालु	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	640.70	13.0466101	75.2683284
46	चरमाडी	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	80.73	13.0946354	75.3900725

47	कदीरूदयावरा	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	445.78	13.0907325	75.3812200
48	ना	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	174.19	13.0911418	75.3579824
49	सुलकेरी	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	390.87	13.0868058	75.1892931
50	नवारा	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	288.11	13.0748097	75.2048749
51	ना	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	56.88	13.0855212	75.3542002
52	ना	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	167.92	13.0759095	75.3488846
53	नदाबेट्टु	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	115.82	13.0676088	75.3482952
54	नदा	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	476.12	13.0374702	75.3035619
55	करमबार	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	84.15	13.0484451	75.2483698
56	मेलांथाबेट्टु	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	46.29	13.0204278	75.2652655
57	लयला	दक्षिण कन्नड	बेलथानगडे	740.11	13.0172755	75.2851114
58	हेबरी	उडुप्पी	करकाल	94.84	13.4375909	75.0291526
	कुल:			**26174.88**		

सारणी ग: कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले रिज़र्व वनों की सूची

मानचित्र आईडी	रिज़र्व वनों के नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में	जी.ओ. / अधिसूचना
ए	अंदर एक्टेंशन रिज़र्व वन	102.39	जी.ओ सं. 3255, तारीख 17.02.1909
बी	हूरबी रिज़र्व वन	226.29	जी.ओ सं.522, तारीख 04.08.1899
सी	चारमडी कनारडी रिज़र्व वन	3544.14	जी.ओ सं.306, राजस्व, तारीख : 25-05-1898
डी	बलूरू राज्य वन	2146.14	आर -5860-एफटी.99-13-5, तारीख : 07-01-1915
	कुल:	**6018.96**	

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2020

S.O. 2188(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3859 (E), dated the 25th October, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 25th October, 2019;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification and were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Kudremukh National Park lies between the 13^0 01' to 13^0 29' North Latitude and 75^0 01' to 75^0 25' East Longitude and spread over an area of 600.57 square kilometers; and the National Park is located at the tri-junction of Chikkamagaluru, Dakshina Kannada and Udupi districts in the State of Karnataka and at the middle of Central Western Ghats (the stretch between Goa and Nilgiris), remains part of one of the 34 bio-diversity hotspots of the world and became signpost of tropical biological richness;

AND WHEREAS, the National Park is a unique landscape of low elevation wet evergreen forests and Shola-Grassland Biome in the entire stretch of the Western Ghats;

AND WHEREAS, Kudremukh landscape represents a wide range of altitudes from 135 meters mean sea level to uplands 1900 meters mean sea level and accordingly has a wide range of vegetation and attendant fauna and the major forest types of Kudremukh National Park is classified under (Champion & Seth 1968): the southern hill top tropical evergreen forests ($1A/C_3$) [Sholas], Tropical wet evergreen forests ($1A/C_4$), West coast semi-evergreen forests (2A/C2), South Indian Moist Deciduous Forests ($3B/C_2$) & South Indian subtropical hill savanna (8A (C 1/DS);

AND WHEREAS, apart from the floral value of Kudremukh National Park, the faunal values of Kudremukh National Park is of critical importance, Kudremukh is the largest remaining home/habitat for the single largest population of the lion tailed macaques (a flagship species of Kudremukh National Park) in India and world; the National Park is also home for King Cobra, the longest venomous snake in the world and Malabar Slender Loris a rare primate endemic to Kudremukh; the National Park is a representative of Tropical wet evergreen forest holding the assemblage of three top carnivores like tiger, leopard and wild dogs; Kudremukh National Park holds high degree of endemism for faunal groups like reptiles, amphibians and fishes. Insects represent the most diverse faunal species followed by birds inside the National Park area; other important fauna occurring in this National Park include Asiatic elephant, Indian gaur, sambar deer, barking deer/muntjac, spotted deer, mouse deer, sloth bear, striped hyena, chevrotain, wild pig, hanuman langur, bonnet macaque, Malabar giant squirrel, peacock, python and Malabar civet cat etc.; Kudremukh National Park is considered as a hottest hotspot for orchids in central Western Ghats;

AND WHEREAS, among its values, the ecosystem services provided by Kudremukh National Park is of great importance; Kudremukh National Park is the fountain head and catchment for major rivers like Tunga, Bhadra and Nethravathi and also catchments for other minor rivers like Swarna, Gurupura, Yennehole and Seethanadhi, forming the lifeline of three districts and plays a vital role in the regional economy; Kudremukh receives one of the highest rainfalls in South India (average of 7000 mm per year), further, the wet evergreen shola forest of Kudremukh act like a sponge, thus huge quantity of water is held as underground reserve and the same is released slowly into rivers throughout the year; geographically, the National Park area holds a vast and enduring effect on the regional climate (by aiding the SW Monsoon), further, Kudremukh National Park holds one of the highest standing biomass estimated at an average of 250-300 tons per hectare and therefore, acts as one of the great carbon sinks, an antidote to global warming and climate change;

AND WHEREAS, the major floral species recorded from the Kudremukh National Park includes *Calophyllum apetalum (*holi honne*), Cinnamomum sulphuratum (*dalchini*), Diospyros candollena (*kari mara*), Hopea canarensis (*malai haiga*), Hopea parviflora (*kiral bogi*), Hopea ponga (*doddele bogi*), Vanda spathulata*

*(*orchid*), Garcinia indica (*kokum*), Hydnocarpus pentandra (*chalmogra yenne mara, mirolhakai, durti*), Knema attenuate (*Raktamara*),* etc;

AND WHEREAS, as per the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) some of the species which fall under category of Critically Endangered, Endangered, Vulnerable, Near Threatened are found in Kudremukh National Park includes mammals such as *Panthera tigris (*tiger), *Panthera pardus (*common leopard), *Prionailurus rubiginosus (*rusty spotted cat), *Viverra civettina (*Malabar civet*), Melursus ursinus (*sloth bear*), Elephas maximus (*Asian elephant*), Bos gaurus (*gaur*), Cervus unicolor (*sambar*), Petinomys uscocapillus (*small Travancore flying squirrel*), Ratufa indica (*Indian giant squirrel*), Manis Crassicaudata (*Indian pangolin), *Platacanthomys lasiurus (*Malabar spiny dormouse*), Lutra lutra (*common otter*), Anoxy Cinerea (*claw less otter*),* etc;

AND WHEREAS, important birds, reptiles, amphibians and butterflies found in the National Park includes *Anthracoceros coronaatus (*Malabar pied hornbill*), Buceros bicornis (*great hornbill*), Ichthyophaga ichthyaetus (*gray headed fish eagle*), Anhinga melanogaster (*darter*), Ciconia episcopus (*woolly –necked stork*), Ficedula nigrorufa (*black and orange flycatcher*), Eumyias albicaudata (*Nilgiri fly catcher*), Indotestudo foresteni (*tortoise*), Geochelone elegans (*Indian flap shell turtle*), Crocodylus palustris (*crocodiles*), Naja Naja (*spectacled cobra*), Ophiophagus Hannah (*king cobra*), Ansonia ornate (*Malabar torrent toad*), Bufo beddomii (*Beddomi's toad*), Ramanella montana (*Jerdon's narrow-mouthed frog*), Indirana leithii (*Leith's leaping frog or Matheran Indian frog*), Limnonectes limochaIrs (* Indian cricket frog*), Micrixalus saxicolus (*Malabar tropical frog*), Nyctibatrachus deccanensis (*Deccan night frog, Deccan wrinkled frog*), Nyctibatrachus major (*Malabar night frog*), Nyctibatrachus sancti palustris (*coorg night frog or sacred swamp wrinkled frog*), Rana aurantiaca (*Trivandrum frog, the common wood frog*), Rana temporalis (*bronzed frog or Gunther's golden-backed frog*), Tomoptema rufescens (*Rufescent Burrowing frog*),* Idea malbarica (Malabar tree nymph), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the protected area of the Kudremukh National Park as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 9.60 kilometres around the boundary of Kudremukh National Park, in Chikkamagaluru, Dakshina Kannada and Udupi districts in the State of Karnataka as the Kudremukh National Park Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 9.60 kilometres around the boundary of Kudremukh National Park and the area of the Eco-sensitive Zone is 316.63 square kilometres, *(zero extent of Eco-sensitive Zone in the northern side of the Kudremukh National Park is due to adjoining of Someshwara Wildlife Sanctuary).*

(2) The boundary description of Kudremukh National Park and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Kudremukh National Park demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID and Annexure-IIE.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Kudremukh National Park and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

(5) The list of enclave villages, villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone and area of reserved forest along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Table **A,** Table **B and** Table **C** of **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication

of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Rural Development;
(ix) Irrigation and Flood Control;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Karnataka State Pollution Control Board; and
(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State the Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government, whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste.–** Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.–** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State

Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A.	**Prohibited Activities**
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of major hydro-electric	Prohibited (except as otherwise provided) as per the

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	project.	applicable laws.
6.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
9.	Erection of wind mills.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
10.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
11.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	infrastructures.	
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
29.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
31.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
32.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
39.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
41.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Regional Commissioner, Mysore	Chairman, ex officio;
(ii)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka;	Member;
(iii)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;
(iv)	Representative of Karnataka State Pollution Control Board	Member;
(v)	A representative of Non-Government Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case	Member;
(vi)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case	Member;
(vii)	Deputy Commissioner or his representative, Chikkamagaluru	Member;
(viii)	Deputy Commissioner or his representative, Udupi	Member;
(ix)	Deputy Commissioner or his representative, Dakshina Kannada	Member;
(x)	Member from Legislative assembly from Mudigere constituency	Member;*
(xi)	Member from Legislative assembly from Karkala constituency	Member;*
(xii)	Member from Legislative assembly from Belthangadi constituency;	Member;*
(xiii)	Member from Legislative assembly from Sringeri constituency	Member;*
(xiv)	The Deputy Conservator of Forests, Kudremukh Wildlife Division, Karkala	Member-Secretary.

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc orders. - The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/147/2015-ESZ-RE]

DR. SATISH C. GARKOTI**,** Scientist 'G'

IndiaCode

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECOSENSITIVE ZONE AROUND KUDREMUKH NATIONAL PARK IN THE STATE KARNATAKA

North:-	The boundary line of Kudremukh Eco-Sensitive Zone starts from Bacchappu of Mudradi Village and runs towards South East along Kudremukh National Park boundary and joins Kaopli stream near Kapoli. Further it moves along the Kaopali stream towards South East direction and joins Someshwara Reserve Forest boundary. Further the Eco-Sensitive Zone boundary continues along the Someshwara Reserve Forest boundary towards South East andagain join the Kudremukh National Park boundary line at Durga. Further it moves along the Kudremukh National Park boundary in South easterly and then North easterly direction till it reaches the Northern tip of Narasimha Parvatha State Forest. Then it joins to peak point 767 near Kote. The Eco-Sensitive Zone boundary line merges with the Eastern Eco-Sensitive Zone boundary line of Someshwara Wildlife Sanctuary.
East:-	Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Narasimha Parvatha State Forest in the village Hasanabalu in South Easterly direction and reaches the peak point 741 near Hasanabalu it cuts the Bailubaru stream and then cuts across the Hasanabalu Kigga road at Hasanabalu and cuts the Masagi village boundary near Harahari stream. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Narasimha Parvatha State Forest in the village Masagi towards South East and East and joins the Migga village boundary near Malathi stream. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Narasimha Parvatha SF in the village Migga towards South and cut the Malathi stream and further it moves towards the South East and joins the Markal village boundary near tri junction of Hasanabalu Kigga road and Malathi stream. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Narasimha Parvatha State Forest in Markal Village and moves towards South East and cuts the Magodu stream. Further moving East along the stream and then South passing near peak point 862 near Kigga and joins the Yadalli village boundary near Hulgarbail. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Narasimha Parvatha State Forest in the village Hulgar bail towards South and cuts the Nalini stream and then it moves towards East and South East and cuts the Thunga river near Sunkadamakki and joins the Nemmar village boundary near Maruvinakombe. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Thungabadra State Forest in the village Nemmar towards South Easterly and South direction and passes through the peakpoint of 821 near Handalmane and joins the

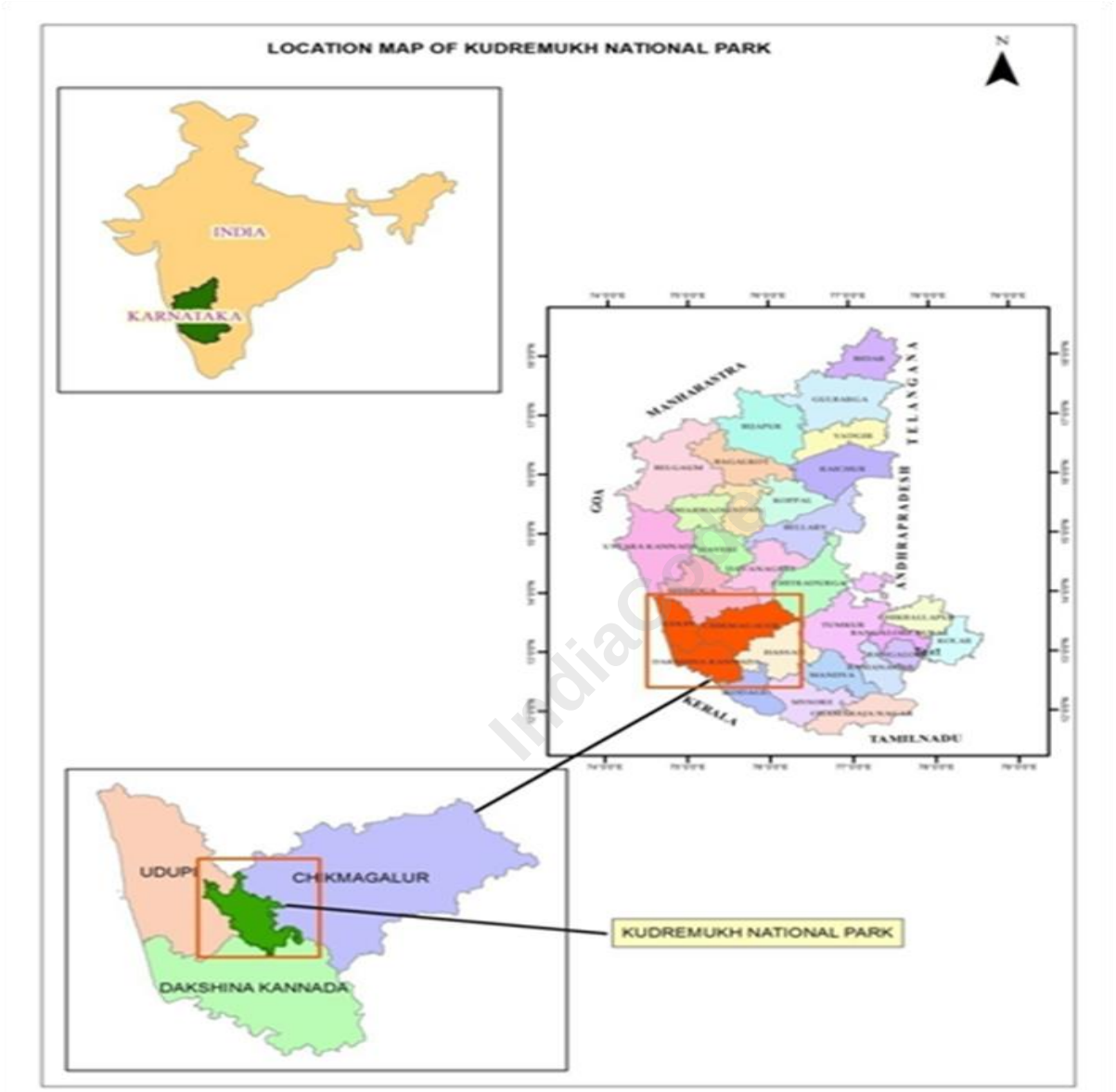
	road at Handalmane. Further it moves towards South along the road and joins the Heruru village boundary. Further it directly connects the peak point 799 near Bukthibailu and then joins to the Bukthibailu and Valale road at peak point 641 near Bukthibailu. Futher the line travers along the road towards South Easterly up to Valale. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Thungabadra State Forest in the village Heruru and reaches the Puttagodu village boundary. Further Eco-Sensitive Zone line moves along the ridge of peak point 1044 and joins the Sringeri Taluk boundary near Hagalgangi. Further it moves along the taluk boundary and along the streams North east to the peak point 943 it joins the road near Harasige of Haralvani village. Further the line travels along the road towards South Easterly in the Haralvai village up to Golugodu stream and joins the Meguru village boundary. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Thungabadra State Forest in the village of Meguru and joins the Bhairadevaru village boundary. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Thungabadra SF in the village Bhairadevaru upto the Balekodige Attikodige road near Balekodige. Futher the line traverses along the road up to Bilalkoppa dispensary and joins Attikodige village boundary. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Thungabadra State Forest in the village in Attikodige and joins the Cowanhalla coffee estate road. Further it moves towards East and South along the road along the boundary of Cownahalla coffee estate. Further it moves South west along the forest village boundary below peakpoint 1406 and 1207 and joins the Horanadu stream. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs parallel to Thungabadra Sate Forest boundary towards West and Southerly in the villages Horanadu, Mavinakere, Kalkodu and it meets the Bhadra river which separate Kalkodu and Samse village.Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to South Bhadra State Forest in the village Samse towards South and easterly crossing Katnipal Hamlet, crossing Samse hole and State Highway no.66, crossing Hosanala coffee estate and reaches the cart road inside Samse tea estate in the village Samse and then reaches the Kalasa village boundary. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Naravi Reserve Forest in the village Kalasa and Marasanige village towards easterly crossing Horemakki, Aggalgudda. And reaches the Balgi village. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Naravi Reserve Forestin the village Balgi crossing Maltikhan coffee estate, Hulikhan coffee estate and reaches a cart road inside Hulikhan coffee estate and reaches Durgadalli village boundary. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Naravi Reserve Forestin the village Durgadahalli crossing Horikhan coffee estate labourers lines and touches Balur State Forest.
South:-	Then the line traverses along the Balur State Forest boundary towards East and then connects the Charmadi road and then moves along the Charmadi Ghat road towards South West and connects with the Charamdi Kanapadi Reserve Forest boundary near Nadumane. Further it moves along the Charmadi Kanapadi Reserve Forest boundary towards North, South West, and turns Northerly it reaches the Bandaje stream at Allandadka. Further it moves along the stream and reaches the Bandage Malavathige road near Hosabettu. Then it moves towards North along the road and sub stream and reaches the tri junction of Mitthabagilu and Bangadi Pete road at Kellur. Further it moves towards South along the road upto Bangadi Pete. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Naravi Reserve Forestin the village Nadabettu towards South and joins the Indabettu Mura road and reaches the tri junction of Surlodi Paranadka roads at Mura further it moves along the road towards North West and reaches the stream near Idiyalugudda. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Naravi Reserve Forestin the village of Navur along Yerumale hole up to the tri junction of stream near Manjotti. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Naravi Reserve Forestin the village Nada up to the contours of Belmavigudda of Laila village. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Naravi Reserve Forest towards North westerly in the village Laila Melanthabettu and Savanalu village and crosses the Savanalu stream near Katlebettu and joins the Karambar village boundary. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Naravi Reserve Forest towards North Westerly in the village of Karambar and crosses the Karambar stream near Gopalakrishna Temple and joins the Shirlal village. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line toNaravi Reserve Foresttowards North West in the villages of Shirlal, Sulkerimogru, Navara and reaches the Karkala – Belthangadi Road Near Kudigehall further it moves towards North west along the road upto the Kuthluru stream and further it moves along the stream and reaches Kuthluru Kallaje road in

	Kuthluru village. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Naravi towards North west in Kuthluru and Naravi villages and crosses the Gundi stream near Naravi and joins the Idu village boundary. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Naravi Reserve Forest towards North West in Idu and Nuralbettu Villages and joins the Hurabe Reserve Forestat Hurabe. Further it moves along Hurabe Reserve Forest boundary and again joins the Nuralbettu village boundary along the 1Km parallel line to Naravi Reserve Forest and then reaches the Mala village boundary at Kollabettu stream.
West:-	Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Naravi Reserve Foresttowards North East and North West in the Mala village and joins the NH 169 near Mullur and then joins the Kervashe village boundary crossing Hekkunjehalla alongKoodabettu Kervashe road. Further the line moves along the Kervashe Guddeyangadi road and joins the Shirlal road at Guddeyangadi. Further it moves towards North West along the Shirlal road up to the Ajekar-Kaduhole road junction of Andar village. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Andar Reserve Foresttowards West and North in Andar and Marne villages and joins the Varanga village boundary crossing the Kaduhole stream. Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Andar Reserve Forestin the village Varanga running West below Varangagudda and joins to the Mudradi village boundary near Balladi.Further the Eco-Sensitive Zone boundary runs along the 1 Km parallel line to Andar Reserve Forestin the Mudradi village and crosses Kelakilahalla and joins the Mudradi – Bacchappu main road and then the road joins to Bacchappu. The Eco-Sensitive Zone boundary merges with the Western Eco-Sensitive Zone boundary of Someshwara Wildlife Sanctuary.

IndiaCode

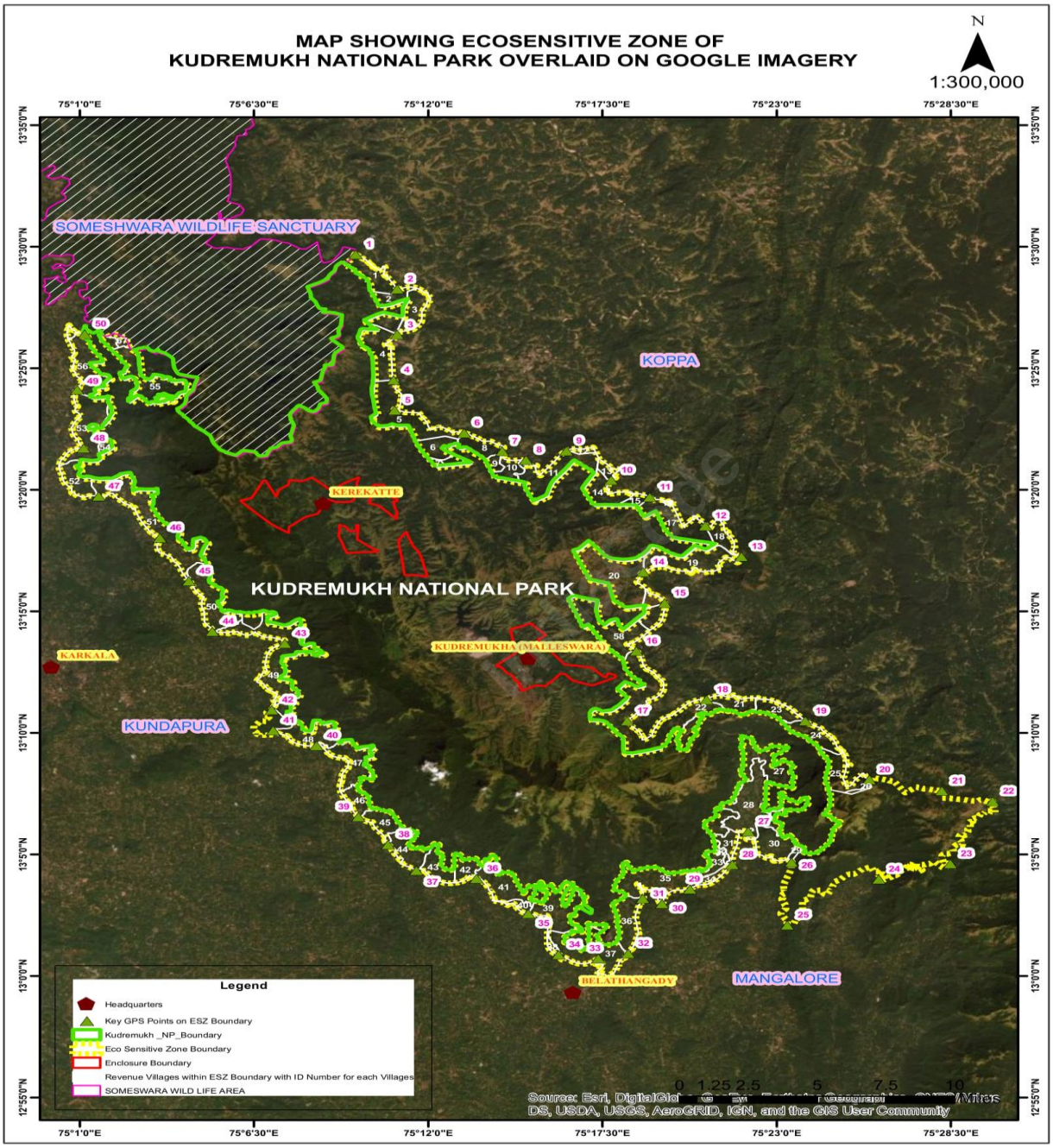
ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF KUDREMUKH NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



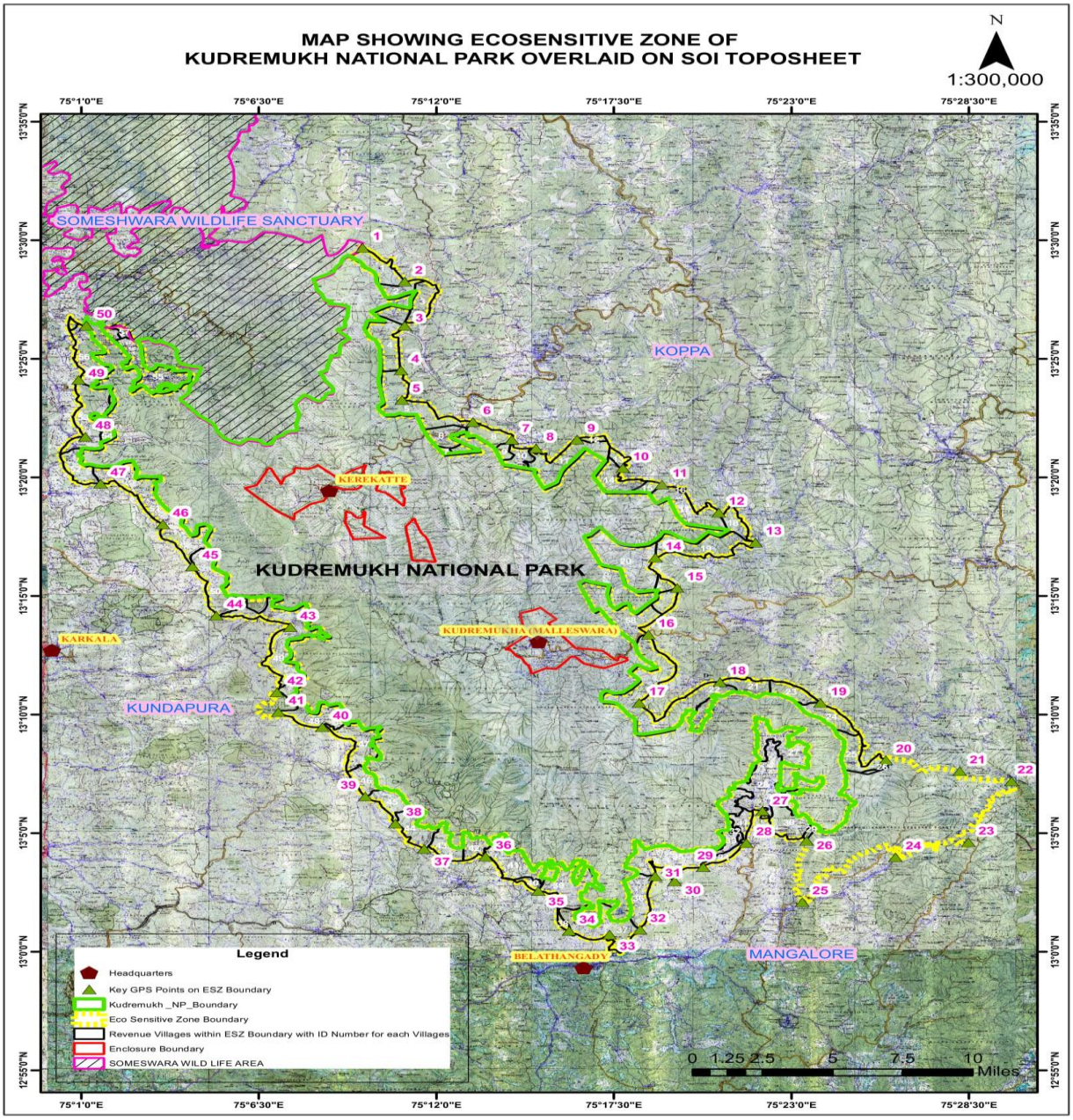
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KUDREMUKH NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



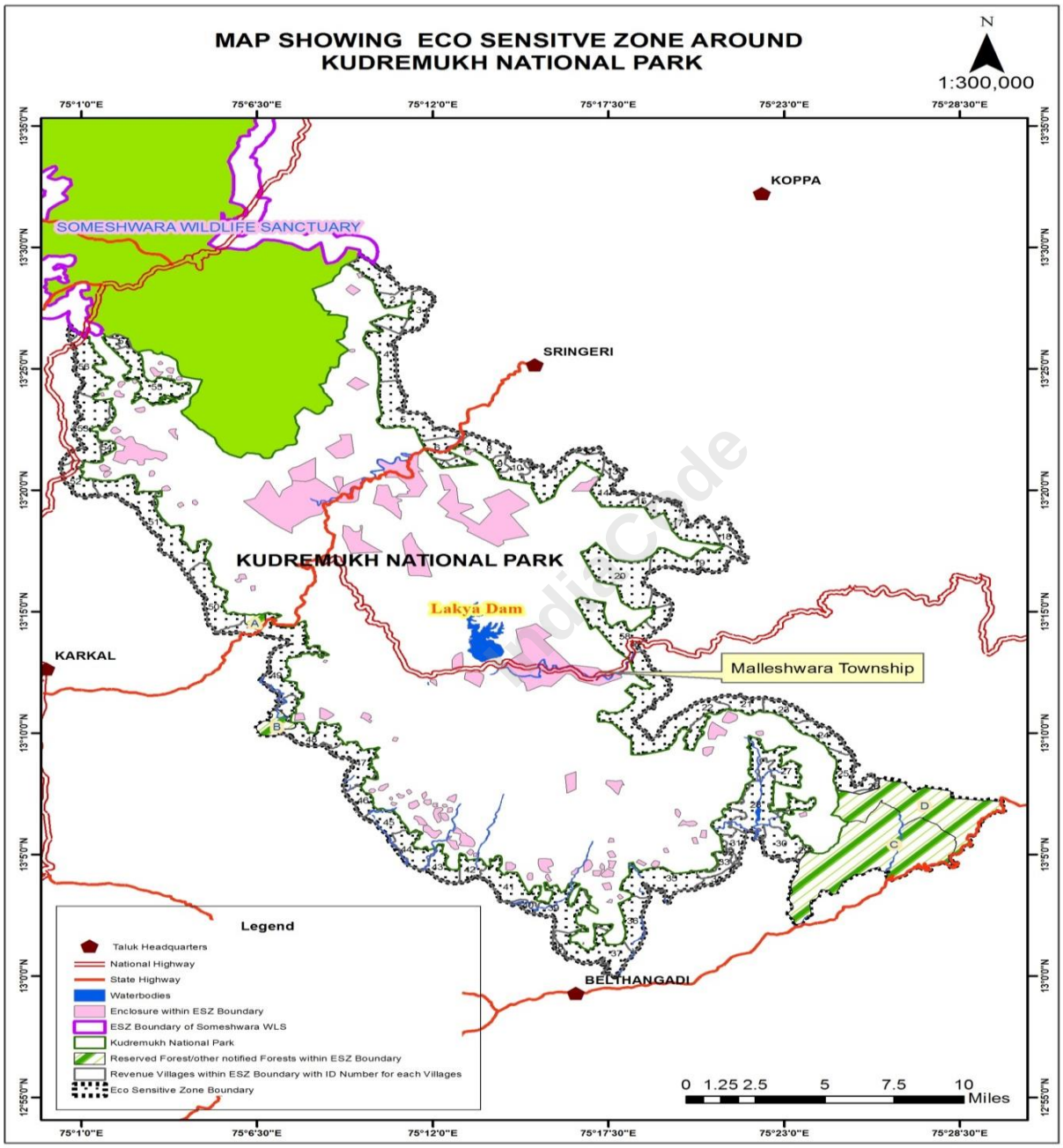
ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KUDREMUKH NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



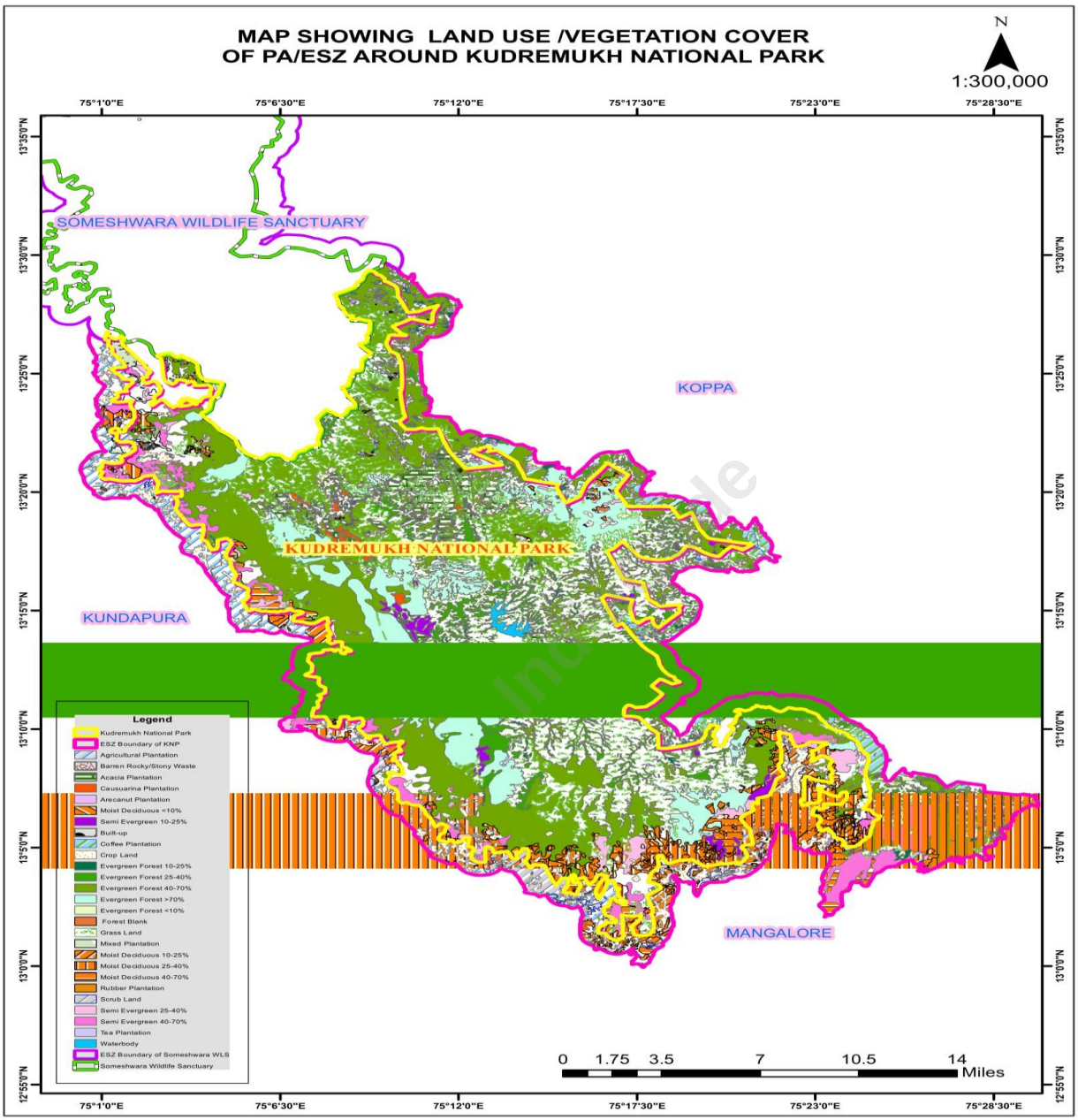
ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KUDREMUKH NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIE

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KUDREMUKH NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KUDREMUKH NATIONAL PARK

Map Id	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
0	75	9	17.57	13	29	19.39
1	75	11	23.53	13	27	46.48
2	75	10	24.07	13	26	32.68
3	75	10	25.10	13	23	5.67
4	75	11	43.54	13	21	43.23
5	75	13	21.44	13	21	4.42
6	75	15	5.21	13	20	16.35
7	75	16	39.76	13	21	8.87
8	75	18	51.62	13	18	50.94
9	75	21	6.79	13	17	42.97
10	75	17	6.91	13	17	49.82
11	75	18	52.57	13	15	11.79
12	75	16	36.16	13	15	36.20
13	75	18	52.69	13	11	55.47
14	75	17	11.04	13	10	30.81
15	75	19	23.25	13	9	17.12
16	75	20	0.92	13	10	7.24
17	75	24	30.61	13	6	39.13
18	75	23	51.12	13	7	17.53
19	75	22	36.21	13	6	46.54
20	75	22	43.19	13	8	3.67
21	75	23	22.20	13	9	25.92
22	75	21	53.19	13	9	54.13
23	75	21	5.56	13	5	7.67
24	75	18	7.22	13	4	39.82
25	75	17	36.56	13	2	8.35
26	75	16	49.30	13	1	48.88
27	75	16	17.71	13	2	50.85
28	75	15	15.74	13	3	7.00
29	75	12	47.52	13	4	25.59
30	75	11	14.59	13	5	53.68
31	75	10	16.03	13	6	53.38
32	75	10	18.93	13	9	26.15
33	75	9	2.86	13	10	23.61
34	75	7	34.57	13	10	48.17
35	75	7	18.12	13	12	10.90
36	75	8	44.53	13	13	12.71
37	75	7	58.91	13	14	38.15
38	75	7	13.63	13	14	55.06
39	75	5	33.04	13	14	55.27
40	75	4	36.09	13	17	32.02
41	75	3	46.42	13	20	4.52

IndiaCode

42	75	1	0.74	13	20	33.63
43	75	1	16.86	13	22	30.78
44	75	1	20.07	13	23	47.89
45	75	1	23.27	13	25	7.85
46	75	1	12.54	13	26	41.30
47	75	2	42.94	13	24	37.58
48	75	2	36.00	13	23	34.01
49	75	4	21.48	13	24	24.53
50	75	4	45.50	13	24	33.93
51	75	6	1.66	13	21	18.02
52	75	7	59.87	13	23	24.96
53	75	8	58.83	13	26	11.56

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Map Id	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	75	9	42.98	13	29	41.79
2	75	11	1.11	13	28	15.93
3	75	11	1.31	13	26	24.78
4	75	10	54.51	13	24	31.48
5	75	10	56.28	13	23	16.75
6	75	13	7.78	13	22	20.65
7	75	14	19.63	13	21	35.50
8	75	15	4.95	13	21	14.30
9	75	16	21.19	13	21	36.95
10	75	17	46.53	13	20	24.46
11	75	18	59.47	13	19	42.00
12	75	20	44.37	13	18	31.59
13	75	21	53.07	13	17	15.86
14	75	18	46.82	13	16	37.09
15	75	19	27.06	13	15	21.13
16	75	18	33.65	13	13	22.42
17	75	18	16.29	13	10	29.52
18	75	20	46.95	13	11	22.66
19	75	23	53.96	13	10	30.17
20	75	25	54.98	13	8	5.59
21	75	28	12.68	13	7	37.12
22	75	29	48.71	13	7	12.03
23	75	28	28.95	13	4	36.97
24	75	26	13.12	13	3	59.11
25	75	23	20.09	13	2	5.77
26	75	23	27.83	13	4	40.95
27	75	22	5.75	13	5	56.68
28	75	21	35.62	13	4	35.67
29	75	20	15.91	13	3	35.09
30	75	19	22.52	13	2	58.72

MediaCode

31	75	18	46.24	13	3	11.39
32	75	18	18.08	13	0	56.48
33	75	17	21.17	13	0	43.79
34	75	16	6.68	13	0	52.48
35	75	15	8.86	13	2	33.82
36	75	13	31.27	13	4	0.68
37	75	11	36.97	13	4	20.88
38	75	10	44.02	13	5	24.70
39	75	9	48.10	13	6	33.38
40	75	8	28.31	13	9	29.41
41	75	7	6.08	13	10	7.23
42	75	7	3.50	13	10	57.30
43	75	7	27.94	13	13	41.74
44	75	5	11.03	13	14	10.89
45	75	4	26.27	13	16	15.17
46	75	3	31.27	13	18	1.90
47	75	1	35.03	13	19	45.22
48	75	1	7.09	13	21	43.48
49	75	0	54.82	13	24	8.20
50	75	1	8.84	13	26	25.33

ANNEXURE-IV

TABLE A: LIST OF REVENUE ENCLOSURES LOCATED WITHIN THE KUDREMUKH NATIONAL PARK BOUNDARY FORMING A PART OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Name of enclosure	Village	Name of the Taluk	Name of the District
01	Kolanthaje	Naravi	Belthangady	Dakshina Kannada
02	Mapala-mithilu	Naravi	Belthangady	Dakshina Kannada
03	Malinapithilu	Naravi	Belthangady	Dakshina Kannada
04	Munnadka	Naravi	Belthangady	Dakshina Kannada
05	Kelaginapithilu	Naravi	Belthangady	Dakshina Kannada
06	Mudady	Naravi	Belthangady	Dakshina Kannada
07	Barthaje	Kutlur	Belthangady	Dakshina Kannada
08	Kottandadka	Kutlur	Belthangady	Dakshina Kannada
09	Manila-Anjarottu	Kutlur	Belthangady	Dakshina Kannada
10	Erdady	Kutlur	Belthangady	Dakshina Kannada
11	Panjala	Kutlur	Belthangady	Dakshina Kannada
12	Onjaredady	Kutlur	Belthangady	Dakshina Kannada
13	Kuriady- Barangady	Kutlur	Belthangady	Dakshina Kannada
14	Perincha	Kutlur	Belthangady	Dakshina Kannada
15	Nangaje	Kutlur	Belthangady	Dakshina Kannada

IndiaCode

16	Alamba	Kutlur	Belthangady	Dakshina Kannada
17	Nellithadka-Madike	Kutlur	Belthangady	Dakshina Kannada
18	Ambila	Navara	Belthangady	Dakshina Kannada
19	Kedelu	Navara	Belthangady	Dakshina Kannada
20	Malige	Sulkerimogru	Belthangady	Dakshina Kannada
21	Panjala	Sulkerimogru	Belthangady	Dakshina Kannada
22	Nirkula	Sulkerimogru	Belthangady	Dakshina Kannada
23	Hendelu	Shirlalu	Belthangady	Dakshina Kannada
24	Malekkila	Shirlalu	Belthangady	Dakshina Kannada
25	Pelahitthilu-Kudukoli	Savanal	Belthangady	Dakshina Kannada
26	Pilithaje	Savanal	Belthangady	Dakshina Kannada
27	Kuntila	Savanal	Belthangady	Dakshina Kannada
28	Kediladka	Savanal	Belthangady	Dakshina Kannada
29	Manjala	Laila	Belthangady	Dakshina Kannada
30	Panchar	Nada	Belthangady	Dakshina Kannada
31	Ermele	Nada	Belthangady	Dakshina Kannada
32	Alya	Navoor	Belthangady	Dakshina Kannada
33	Muthaje	Navoor	Belthangady	Dakshina Kannada
34	Kalaginarabe	Navoor	Belthangady	Dakshina Kannada
35	Melinarabe	Navoor	Belthangady	Dakshina Kannada
36	Bella	Navoor	Belthangady	Dakshina Kannada
37	Golthara	Navoor	Belthangady	Dakshina Kannada
38	Malla	Navoor	Belthangady	Dakshina Kannada
39	Malejody	Navoor	Belthangady	Dakshina Kannada
40	Kodange	Navoor	Belthangady	Dakshina Kannada
41	Kasaravalli	Navoor	Belthangady	Dakshina Kannada
42	Permanu	Navoor	Belthangady	Dakshina Kannada
43	Kudkoli	Malavanthige	Belthangady	Dakshina Kannada
44	Pathalike	Malavanthige	Belthangady	Dakshina Kannada
45	Suruli	Malavanthige	Belthangady	Dakshina Kannada
46	Bolle	Malavanthige	Belthangady	Dakshina Kannada
47	Bangarubaliga	Malavanthige	Belthangady	Dakshina Kannada
48	Elneer	Malavanthige	Belthangady	Dakshina Kannada
49	Badamane	Malavanthige	Belthangady	Dakshina Kannada
50	Adyathody	Malavanthige	Belthangady	Dakshina Kannada

IndiaCode

51	Mundala	Malavanthige	Belthangady	Dakshina Kannada
52	Mandala(Sheerlu)	Shirlu	Shringeri	Chikkamagaluru
53	Gurige	Shirlu	Shringeri	Chikkamagaluru
54	Yadagaru	Gulgunjimane	Shringeri	Chikkamagaluru
55	Matholli	Gulgunjimane	Shringeri	Chikkamagaluru
56	Sunkadamakki	Sunkadamakki	Shringeri	Chikkamagaluru
57	Yammegundi	Hadi	Shringeri	Chikkamagaluru
58	Beeman Saralu	Megur	Koppa	Chikkamagaluru
59	Golgundi	Atti kodige	Koppa	Chikkamagaluru
60	Asana balu	Hasana Balu	Shringeri	Chikkamagaluru
61	Tharolli	K.Masige	Shringeri	Chikkamagaluru
62	Kithlemane Kodige	Kigga	Shringeri	Chikkamagaluru
63	Narasimha devaru	Kigga	Shringeri	Chikkamagaluru
64	Bale Kadi	Balekadi	Shringeri	Chikkamagaluru
65	Kogodumane	Kigga	Shringeri	Chikkamagaluru
66	Ajarath	Gulgunjimane	Shringeri	Chikkamagaluru
67	Hammige	Hadikerur	Shringeri	Chikkamagaluru
68	Karuchru	Kere	Shringeri	Chikkamagaluru
69	Mudubha	Muduba	Shringeri	Chikkamagaluru
70	S.K.Border	Kere	Shringeri	Chikkamagaluru
71	Malleshwara	Samse	Mudigere	Chikkamagaluru
72	Lakya	Samse	Mudigere	Chikkamagaluru
73	Bhagavthi	Samse	Mudigere	Chikkamagaluru
74	Biligal	Samse	Mudigere	Chikkamagaluru
75	Singsar	Samse	Mudigere	Chikkamagaluru
76	Chitigal	Samse	Mudigere	Chikkamagaluru
77	Tholali	Samse	Mudigere	Chikkamagaluru
78	Kuchigeri	Samse	Mudigere	Chikkamagaluru
79	Karle	Samse	Mudigere	Chikkamagaluru
80	Halasingavare	Samse	Mudigere	Chikkamagaluru
81	Kudremukh peak	Samse	Mudigere	Chikkamagaluru
82	Adka-Mundani (Sannadarkasu)	Varanga	Karkala	Udupi
83	Perla	Kabbinale	Karkala	Udupi
84	Parikallu	Kabbinale	Karkala	Udupi
85	Mullantu	Kabbinale	Karkala	Udupi

IndiaCode

86	Beerabettu	Kabbinale	Karkala	Udupi
87	Mundani	Kabbinale	Karkala	Udupi
88	Mutladka	Kabbinale	Karkala	Udupi
89	Kesrani	Kabbinale	Karkala	Udupi
90	Tannirabailu (Matau)	Kabbinale	Karkala	Udupi
91	Honnakoppala	Kabbinale	Karkala	Udupi
92	Sancharimale	Kabbinale	Karkala	Udupi
93	Narpal	Kabbinale	Karkala	Udupi
94	Ponnane (Mundilghat)	Kabbinale	Karkala	Udupi
95	Mutlupady	Andar	Karkala	Udupi
96	Bolinje-I	Andar	Karkala	Udupi
97	Bolinje-II	Andar	Karkala	Udupi
98	Morantebailu	Andar	Karkala	Udupi
99	Kondadi	Andar	Karkala	Udupi
100	Kollarabailu	Andar	Karkala	Udupi
101	Narsebailu	Andar	Karkala	Udupi
102	Nadvalu	Kervashe	Karkala	Udupi
103	Berkala	Kervashe	Karkala	Udupi
104	Bijjale	Mala	Karkala	Udupi
105	Gundi	Idu	Karkala	Udupi
106	Mapala	Nuralbettu	Karkala	Udupi
107	Pelataje	Nuralbettu	Karkala	Udupi
108	Kanyal	Nuralbettu	Karkala	Udupi

IndiaCode

TABLE B: LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KUDREMUKH NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Name of the village	District	Taluk	Area in Ha.	Latitude	Longitude
1	Hasanbalu	Chikkamagaluru	Sringeri	372.98	13.4806162	75.1702869
2	Masagi	Chikkamagaluru	Sringeri	368.12	13.4576696	75.1799051
3	Migga	Chikkamagaluru	Sringeri	330.64	13.4569556	75.1924606
4	Markallu/rishashringapura	Chikkamagaluru	Sringeri	509.95	13.4285720	75.1743589
5	Mudradi	Udupi	Karkal	665.59	13.4198151	75.0216594
6	Kabbinale	Udupi	Karkal	747.33	13.4068817	75.0514608
7	Yadahalli	Chikkamagaluru	Sringeri	834.49	13.3853023	75.1866934
8	Varanga	Udupi	Karkal	782.16	13.3755923	75.0205032
9	Nemmar	Chikkamagaluru	Sringeri	275.80	13.3631210	75.2270108
10	Heggaru	Chikkamagaluru	Koppa	93.43	13.3470182	75.2938050

11	Kutgod	Chikkamagaluru	Sringeri	49.23	13.3602085	75.2813336
12	Andar	Udupi	Karkal	89.49	13.3570354	75.0339064
13	Sunkadamakki	Chikkamagaluru	Sringeri	272.33	13.3627448	75.2048425
14	Haruru	Chikkamagaluru	Sringeri	202.58	13.3468913	75.2426865
15	Bhairedevaru	Chikkamagaluru	Koppa	10.37	13.3245753	75.3260048
16	Malnadu	Chikkamagaluru	Sringeri	712.33	13.3451067	75.2661176
17	Karakki coffee estate	Chikkamagaluru	Sringeri	46.91	13.3517053	75.2069076
18	Nemmar coffee estate	Chikkamagaluru	Sringeri	162.10	13.3522609	75.2255255
19	Marne	Udupi	Karkal	324.57	13.3404455	75.0150504
20	Haralvani	Chikkamagaluru	Koppa	371.65	13.3317291	75.2927051
21	Shirlal	Udupi	Karkal	1233.52	13.3115853	75.0553537
22	Megur	Chikkamagaluru	Koppa	109.47	13.3253491	75.3074405
23	Kalgundi	Chikkamagaluru	Koppa	634.11	13.3103789	75.3307146
24	Attikodagi	Chikkamagaluru	Koppa	212.78	13.3015610	75.3540951
25	Na	Chikkamagaluru	Mudigere	1017.17	13.2744715	75.2982983
26	Hornadu	Chikkamagaluru	Mudigere	755.42	13.2818411	75.3344117
27	Kalgodu	Chikkamagaluru	Mudigere	754.25	13.2385941	75.2947954
28	Berkala	Udupi	Karkal	672.38	13.2586228	75.0858342
29	Sanvshi	Chikkamagaluru	Mudigere	1673.42	13.1821117	75.3156762
30	Mavinkere/kalasa	Chikkamagaluru	Mudigere	428.50	13.2110799	75.3438585
31	Mala	Udupi	Karkal	1114.86	13.2217118	75.1206018
32	Marasangi	Chikkamagaluru	Mudigere	261.33	13.1821740	75.3834246
33	Idu	Udupi	Karkal	529.49	13.1463034	75.1597220
34	Nuralbettu	Udupi	Karkal	561.78	13.1702982	75.1349663
35	Malavanthige	Dakshina kannada	Belthangadi	1419.65	13.1457656	75.3711136
36	Naravi	Dakshina kannada	Belthangadi	237.72	13.1211333	75.1630751
37	Balgi	Chikkamagaluru	Mudigere	337.10	13.1651225	75.4027952
38	Kuthlur	Dakshina kannada	Belthangadi	299.39	13.1053304	75.1763632
39	Durgadahalli	Chikkamagaluru	Mudigere	403.93	13.1388647	75.4168216
40	Mudgundi	Chikkamagaluru	Mudigere	40.57	13.1287820	75.4278564
41	Sulkerimogru	Dakshina kannada	Belthangadi	217.55	13.0739938	75.2193580
42	Mithabagilu	Dakshina kannada	Belthangadi	894.45	13.1174161	75.3698903
43	Shirlal	Dakshina kannada	Belthangadi	563.77	13.0631273	75.2395287
44	Navur	Dakshina kannada	Belthangadi	777.71	13.0649514	75.3183549
45	Savanalu	Dakshina kannada	Belthangadi	640.70	13.0466101	75.2683284
46	Charmadi	Dakshina kannada	Belthangadi	80.73	13.0946354	75.3900725
47	Kadirudyavara	Dakshina kannada	Belthangadi	445.78	13.0907325	75.3812200

indiaCode

48	Na	Dakshina kannada	Belthangadi	174.19	13.0911418	75.3579824
49	Sulkeri	Dakshina kannada	Belthangadi	390.87	13.0868058	75.1892931
50	Navara	Dakshina kannada	Belthangadi	288.11	13.0748097	75.2048749
51	Na	Dakshina kannada	Belthangadi	56.88	13.0855212	75.3542002
52	Na	Dakshina kannada	Belthangadi	167.92	13.0759095	75.3488846
53	Nadabettu	Dakshina kannada	Belthangadi	115.82	13.0676088	75.3482952
54	Nada	Dakshina kannada	Belthangadi	476.12	13.0374702	75.3035619
55	Karambar	Dakshina kannada	Belthangadi	84.15	13.0484451	75.2483698
56	Melanthabettu	Dakshina kannada	Belthangadi	46.29	13.0204278	75.2652655
57	Layla	Dakshina kannada	Belthangadi	740.11	13.0172755	75.2851114
58	Hebri	Udupi	Karkal	94.84	13.4375909	75.0291526
	Total:			**26174.88**		

TABLE C: LIST OF RESERVED FORESTS FALLING WITHIN THE ECO- SENSITIVE ZONE OF KUDREMUKH NATIONAL PARK

Map ID	Name of the Reserved Forests	Area in ha	G.O / Notification
A	Andar Extension Reserved Forest	102.39	G.O No 3255, dated 17.02.1909
B	Hurabi Reserved Forest	226.29	G.O. No 522, dated 04.08.1899
C	Charmadi Kanaradi Reserved Forest	3544.14	G.O.No.306, Revenue, dated : 25-05-1898
D	Baluru State Forest	2146.14	R -5860-Ft.99-13-5, dated : 07-01-1915
	Total:	**6018.96**	

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.03 19:37:40 +05'30'